



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 6, मंगलवार, शाके 1938-अप्रैल 26, 2016
Vaishakha 6, Tuesday, Saka 1938-April 26, 2016

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 26, 2016

संख्या प. 2 (16) विधि/2/2016-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 13)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई]

राज्य में विशेष विनिधान रीजन की स्थापना, योजना, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंध और विनियमन के लिए और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी भी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "आबादी" या "आबादी क्षेत्र" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 103 के अधीन यथा-परिभाषित आबादी या आबादी क्षेत्र या आबादी भूमि अभिप्रेत है;
- (ख) "अपील प्राधिकरण" से धारा 67 के अधीन स्थापित और गठित अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "बोर्ड" से धारा 7 के अधीन स्थापित राजस्थान विशेष विनिधान रीजन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "आबादी विकास के लिए बफर" से किसी गांव या, यथास्थिति, नगरपालिका की आबादी के विकास के लिए मास्टर विकास योजना में विनिर्दिष्ट किसी नगरपालिक क्षेत्र या किसी गांव के आबादी क्षेत्र से लगा हुआ कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ङ) "भवन" से कोई संरचना या परिनिर्माण, या किसी संरचना या परिनिर्माण का कोई भाग, चाहे वह वास्तविक उपयोग में हो या न हो, जिसे आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिया जाना आशयित हो, अभिप्रेत है;
- (च) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

- (छ) "रियायत करार" से किसी रियायतग्राही और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार, या किसी परियोजना से संबंधित किसी सरकारी एजेंसी के बीच, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई संविदा अभिप्रेत है;
- (ज) "रियायतग्राही" से कोई प्राइवेट सेक्टर का भागीदार, जिसके साथ किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने कोई रियायत करार किया है, अभिप्रेत है;
- (झ) "विकास" से, इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित, किसी भूमि (जिसमें नदी, झील या किसी अन्य जल के नीचे की भूमि सम्मिलित है) में, या उस पर या उसके नीचे कोई भी भवन, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य संक्रियाओं को कार्यान्वित करना, या किसी भवन या भूमि में, या किसी भवन या भूमि के उपयोग में कोई तात्त्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है, और इसमें किसी भूमि का पुनर्विकास और अभिन्यास, और उप-विभाजन, और लोक तथा नागरिक सुविधाओं के लिए भी उपबंध और कृषि, उद्यान-कृषि, पुष्प विज्ञान, वन विज्ञान, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, पशु प्रजनन, मत्स्य उद्योग के विकास और ऐसे ही अन्य क्रियाकलापों के लिए परियोजनाएं और स्कीमें सम्मिलित हैं और 'विकास करना' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (ञ) "विकास प्राधिकरण" से अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39) के अधीन गठित अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का

अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को अपवर्जित करते हुए किसी राजस्थान विधि द्वारा गठित अन्य कोई समरूप विकास प्राधिकरण, अभिप्रेत हैं;

- (ट) "विकास स्कीम" से मास्टर विकास योजना या जोन विकास योजना के क्रियान्वयन के प्रयोजन लिए या किसी क्षेत्र के विकास के लिए उपबंध करने की कोई स्कीम अभिप्रेत है;
- (ठ) "आर्थिक क्रियाकलाप" से औद्योगिक, विनिर्माण संबंधी, वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, संचालन सहायता, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य, स्वास्थ्य, आवासन, मनोरंजन, अनुसंधान, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास, सूचना और संचार, प्रबंध, परामर्श से संबंधित क्रियाकलाप और सेवाएं और ऐसे अन्य क्रियाकलाप और सेवाएं, जो विहित की जायें, अभिप्रेत हैं;
- (ड) "सरकारी एजेंसी" से कोई सरकारी कम्पनी या किसी राजस्थान विधि के अधीन गठित कोई निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई अन्य संस्था, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;
- (ढ) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (45) के अधीन यथा-परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है;
- (ण) "औद्योगिक क्षेत्र" से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिधान निगम लिमिटेड द्वारा या किसी अन्य सरकारी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा उद्योगों की स्थापना करने के लिए विकसित भूमि का कोई क्षेत्र और अन्य सहायक सेवाएं,

जिनमें वाणिज्यिक इकाइयां, आवासीय इकाइयां, विद्यालय, संस्था, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, डाक घर, अग्निशमन स्टेशन और बैंक सम्मिलित हैं किन्तु जो इन सहायक सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, और जो इस रूप में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अभिप्रेत हैं;

(त) "अवसंरचना सुविधा" से सड़क, पुल, बायपास, अंडरपास, जल प्रदाय, जल- निकास, औद्योगिक, संस्थानिक और शहरी अपशिष्ट का संग्रहण-उपचार-निस्सारण और निस्तारण, परिवहन, विद्युत, डाक, दूरसंचार, आपदा प्रबंधन, गैस पाईप-लाइन, और इसी प्रकार की अन्य सुविधा अभिप्रेत है और इसमें किसी भी प्रकार की लोक और नागरिक सुविधा सम्मिलित है;

(थ) "अवसंरचना परियोजना" से किसी अवसंरचना सुविधा, जिसमें उसका वित्तपोषण संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण या प्रबंध सम्मिलित है, के सृजन, पुनर्वास, सुधार, विस्तार, परिवर्तन या प्रतिस्थापन के लिए कोई परियोजना चाहे वह किसी विशेष विनिधान रीजन के भीतर हो, जो किसी विशेष विनिधान रीजन को जोड़ती हो या किसी विशेष विनिधान रीजन के लिए अपेक्षित हो, अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई परियोजना, जो किसी अवसंरचना परियोजना को या उससे जोड़ती है, सम्मिलित है;

(द) "भूमि का पूल बनाना" से ऐसा इंतजाम, जिसमें किसी भूमि या उसके भाग का कोई अभिधारी या स्वामी, ऐसी विकसित भूमि या ऐसा नकद प्रतिकर या विकसित भूमि के ऐसे अनुपात में इतनी भूमि और नकद प्रतिकर के बदले किसी विकास स्कीम के लिए क्षेत्रीय विकास

प्राधिकरण के पक्ष में भूमि में या उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने के लिए सहमत होता है जैसाकि ऐसे अभिधारी या, यथास्थिति, स्वामी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के बीच सहमति हो, अभिप्रेत है;

- (ध) "स्थानीय प्राधिकरण" से कोई पंचायती राज संस्था, नगरपालिका, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यास, या किसी राजस्थान विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (न) "मास्टर विकास योजना" से अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गयी मास्टर विकास योजना अभिप्रेत है;
- (प) "नगरपालिक सेवा" से लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जल निकास और मलवहन, लोक मार्गों या स्थानों, मल नालियों और जल निकास की सफाई, लोक मार्गों या स्थानों में रोशनी, आग बुझाना, घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापार या व्यवसाय को विनियमित करना, लोक मार्गों या स्थानों में बाधाओं तथा बहिर्गत भागों को हटाना, खतरनाक भवनों को सुरक्षित करना या हटाना, मृत जानवरों के शवों की अन्त्येष्टि को विनियमित करना, मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन, कुत्तों, मवेशियों और अन्य जानवरों के संचलन का विनियमन अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य सेवाओं के लिए इंतजाम सम्मिलित हैं जैसाकि किसी नगरपालिक क्षेत्र में किसी नगरपालिका द्वारा उपबंधित किया जाये;
- (फ) "नगरपालिका" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के

खण्ड (xlii) में यथा-परिभाषित कोई नगरपालिका अभिप्रेत है;

(ब) "पंचायती राज संस्था" से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 2 के खण्ड (xvii) के अधीन यथा-परिभाषित कोई पंचायती राज संस्था अभिप्रेत है;

(भ) "परिधि" से धारा 4 के अधीन इस रूप में घोषित किसी विशेष विनिधान रीजन से लगा हुआ क्षेत्र अभिप्रेत है;

(म) "प्राइवेट सेक्टर भागीदार" से निम्नलिखित से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:-

(i) राज्य सरकार या कोई सरकारी एजेंसी, या

(ii) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम, या

(iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी के बीच कोई संयुक्त उद्यम;

(य) "लोक और नागरिक सुविधा" से खुला स्थान, उद्यान, चिड़ियाघर, प्राकृतिक रिजर्व, अभयारण्य, खेलकूद का मैदान, स्टेडियम, आमोद-प्रमोद का स्थान, सार्वजनिक सभा स्थल, नाट्यशाला, लोक जमाव या मनोरंजन के लिए स्थान, संग्रहालय, कला दीर्घा, सार्वजनिक शौचालय, हरित पट्टी, आवासन, विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा, समाज कल्याण और सांस्कृतिक सुविधा, पार्किंग की सुविधाएं और लोक तथा नागरिक प्रयोजन के लिए ऐसी समस्त अन्य प्रकार की सुविधाएं, जो विहित की जायें, अभिप्रेत हैं;

- (यक) "लोक निजी भागीदारी" से किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और किसी प्राइवेट सेक्टर भागीदार के बीच किसी विकास स्कीम के संबंध में कोई भागीदारी संविदा अभिप्रेत है;
- (यख) "राजस्थान आवासन बोर्ड" से राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम सं. 4) के अधीन गठित राजस्थान आवासन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (यग) "राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिधान निगम लिमिटेड" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन एक निगमित कम्पनी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिधान निगम लिमिटेड अभिप्रेत है;
- (यघ) "क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण" से धारा 9 के अधीन गठित कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (यङ) "विनियम" से बोर्ड और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
- (यच) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (यछ) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (यज) "प्रभारी सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है;
- (यझ) "विशेष विनिधान रीजन" से धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(यत्र) "नगर सुधार न्यास" से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई न्यास अभिप्रेत है; और

(यट) "उपयोक्ता प्रभार" से धारा 56 के अधीन अधिरोपित प्रभार अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विशेष विनिधान रीजन

3. विशेष विनिधान रीजन की घोषणा.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी औद्योगिक क्षेत्र सहित भूमि के किसी भी क्षेत्र को विशेष विनिधान रीजन के रूप में घोषित कर सकेगी और उसका भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) विशेष विनिधान रीजन के रूप में घोषित किसी क्षेत्र को इसकी अवस्थिति और/या इसके प्रधान आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से जाना जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

4. परिधि की घोषणा.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विशेष विनिधान रीजन से लगे हुए किसी भी ओर के ऐसे बाह्य क्षेत्र को विशेष विनिधान रीजन की परिधि के रूप में घोषित कर सकेगी जैसाकि वह उचित समझे।

(2) विशेष विनिधान रीजन की परिधि के रूप में उप-धारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र की घोषणा किये जाने पर,-

(क) विशेष विनिधान रीजन का क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उस विशेष विनिधान रीजन की परिधि के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा; और

(ख) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का विस्तार विशेष विनिधान रीजन की परिधि तक होगा।

(3) परिधि क्षेत्र में के विकास को विनियमित करने के क्रम में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस परिधि क्षेत्र के लिए पृथक् से मास्टर विकास योजना और विकास स्कीम तैयार कर सकेगा।

5. विशेष विनिधान रीजन का एक औद्योगिक नगर होना.- विशेष विनिधान रीजन और उसकी परिधि में आने वाला क्षेत्र, किसी गांव और नगरपालिक क्षेत्र की आबादी के विकास के लिए पृथक् रखी गयी भूमि सहित, आबादी क्षेत्र को छोड़कर, उस तारीख से जिसको यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस रूप में अधिसूचित किया जाये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपबंधों के अर्थातर्गत एक औद्योगिक नगर समझा जायेगा।

6. विशेष विनिधान रीजन का स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के बाहर होना.- (1) इस अधिनियम के अधीन घोषित विशेष विनिधान रीजन, किसी गांव और नगरपालिक क्षेत्र की आबादी के विकास के लिए पृथक् रखी गयी भूमि सहित, आबादी क्षेत्र को छोड़कर, उस सीमा तक किसी स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के अधीन नहीं रहेगा जिस सीमा तक इस अधिनियम में किये गये उपबंधों से संबंधित है।

(2) विशेष विनिधान रीजन के लिए मास्टर विकास योजना तैयार करते समय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी विकास योजना, यदि कोई हो, को ध्यान में रखेगा।

अध्याय 3

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन बोर्ड

7. बोर्ड की स्थापना.- (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी

तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, एक बोर्ड की स्थापना करेगी जिसका नाम राजस्थान विशेष विनिधान रीजन बोर्ड होगा।

(2) बोर्ड का मुख्यालय जयपुर या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(3) बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव और बारह से अनधिक इतने अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारित करेंगे।

(5) यदि मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से बोर्ड में कोई रिक्ति होती है तो वह राज्य सरकार द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरी जायेगी।

(6) बोर्ड की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और वह उसकी बैठक में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया (ऐसी बैठक में गणपूर्ति सहित) के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा उपबंधित किये जायें।

(7) बोर्ड स्वयं के साथ ऐसे किसी भी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों में से किसी कृत्य के पालन में अपेक्षित हो।

(8) राज्य सरकार, किसी सरकारी एजेन्सी, किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या किसी विकासकर्ता से बोर्ड ऐसी कोई भी सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हो, अभिप्राप्त कर सकेगा।

(9) राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे अधिकारी और सेवक उपलब्ध करायेगी जैसेकि वह बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(10) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि नियमों द्वारा विहित की जायें।

(11) बोर्ड का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, केवल उसमें किसी रिक्रि या उसके गठन में किसी त्रुटि, या उसकी प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

8. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.- बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(क) विशेष विनिधान रीजन और परिधि को प्रोन्नत करना और उनकी स्थापना करना;

(ख) विशेष विनिधान रीजन के विकास को मानीटर करना और उसमें सम्मिलित एजेंसियों को आवश्यक अनुदेश जारी करना;

(ग) राज्य में विशेष विनिधान रीजन के विकास में की कठिनाइयों की पहचान करना और किसी मामले या प्रस्ताव पर सिफारिशें करना जिसमें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, किसी सरकारी एजेंसी, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने या उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उनके साथ समन्वय करना जिसमें किसी नीति या विधि का बनाया जाना या उसमें संशोधन करना सम्मिलित है;

(घ) विशेष विनिधान रीजन में किसी परियोजना या आर्थिक क्रियाकलाप के लिए समुचित राज्य समर्थन या कस्टमाइज्ड पैकेज पर विचार करना और राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और

अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) के उपबंधों के अधीन इसके अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को उसकी सिफारिश करना; और

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 4

क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण

9. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विशेष विनिधान रीजन के लिए एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करेगी जो एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे जंगम और स्थावर सम्पत्ति का अर्जन, धारण तथा व्ययन करने की और संचिदा करने की शक्ति होगी और वह अपने नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा:

परन्तु राज्य सरकार एक से अधिक विशेष विनिधान रीजन के लिए, एकल क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी:

परन्तु यह और कि किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को इसकी अवस्थिति और/या इसके प्रधान आर्थिक क्रियाकलाप के नाम से जाना जायेगा।

(2) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

- (i) राज्य सरकार का दिल्ली-मुंबई -अध्यक्ष;
औद्योगिक कोरीडोर विभाग का प्रभारी
मंत्री
- (ii) विशेष विनिधान रीजन में - सदस्य;
सम्मिलित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व
करने वाले समस्त लोकसभा और

राजस्थान विधान सभा के सदस्य

(iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित - सदस्य;
किये जाने वाले तेरह से अनधिक की
संख्या में, अन्य सरकारी और गैर-
सरकारी व्यक्ति

(iv) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया -सदस्य-सचिव।
जाने वाला मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(3) किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसाकि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) उप-धारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के पारिश्रमिक, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जायें।

(5) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और वह उसकी बैठक में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया (ऐसी बैठक में गणपूर्ति सहित) के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा उपबंधित किये जायें।

(6) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, केवल उसमें ऐसी रक्ति या उसके गठन में किसी ऐसी त्रुटि, या उसकी प्रक्रिया में ऐसी किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

(7) उप-धारा (1) से (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष विनिधान रीजन के लिए किसी विद्यमान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेन्सी या सरकारी कम्पनी को विशेष विनिधान रीजन के लिए

क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करके किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

10. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए और राज्य सरकार और बोर्ड के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

- (क) विशेष विनिधान रीजन के भीतर क्रय, पट्टा, विनिमय, करार के द्वारा या अन्यथा भूमि अर्जित, उपाप्त और धारित करना;
- (ख) अध्याय 5 के अधीन तैयार की गयी योजनाओं और स्कीमों से संबंधित मामलों में विशेष विनिधान रीजन या उसकी परिधि में कार्यरत किसी सरकारी एजेन्सी या व्यक्तियों को निदेश देना;
- (ग) विकास और विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में प्राइवेट सेक्टर भागीदारी की अभिवृद्धि करना;
- (घ) वित्तीय और बहुपक्षीय संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए बाजार से वित्त जुटाना;
- (ङ) धारा 36 के अधीन भूमि का आबंटन करना;
- (च) धारा 40 और 41 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विकास करने की अनुज्ञा को उपान्तरित या रद्द करना;
- (छ) अध्याय 5 के अधीन तैयार की गयी योजनाओं और स्कीमों तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाये भवन विनियमों के अनुसार विशेष विनिधान रीजन में विकास क्रियाकलापों को विनियमित करना;

- (ज) धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वेक्षण करने, जांच, निरीक्षण, परीक्षण करने या माप लेने के लिए किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करना;
- (झ) विशेष विनिधान रीजन के लिए सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय रक्षोपाय, आपदा प्रबंधन की अनुपालना और अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;
- (ञ) इसके कृत्यों के अनुपालन में इसकी सहायता करने के लिए विशेष ज्ञान या कौशल रखने वाले व्यक्तियों या सलाहकारों को लगाया जाना;
- (ट) लोक निजी भागीदारी के माध्यम को सम्मिलित करते हुए वार्ता करना और कोई संविदा करना;
- (ठ) इसकी निधियों का प्रबंध करना;
- (ड) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यातायात, पर्यावरण, भवन, भूमि उपयोग और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के उचित विनियमन के लिए समितियों का गठन करना;
- (ढ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी कंपनी में शेयर लेने के लिए अभिदाय करना और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायें, किसी व्यक्ति या निकाय के साथ संयुक्त उद्यम का करार करना;
- (ण) राज्य सरकार के अनुमोदन से रियायत करार करना;
- (त) अनुदान और संदान स्वीकार करना;
- (थ) विशेष विनिधान रीजन के विकास के लिए अध्याय 5 के अनुसार सर्वेक्षण करना और तैयार की गयी योजनाओं और स्कीमों को तैयार और निष्पादित करना;
- (द) प्रयोजनों और उपयोगों, और अन्य बातों के साथ, आवासन और औद्योगिक क्षेत्रों और लोक तथा नागरिक सुविधा

- सहित किसी आर्थिक क्रियाकलाप, अवसंरचना सुविधा के लिए, विशेष विनिधान रीजन और परिधि को वर्गीकृत, चिह्नांकित, सीमांकित और विकसित करना और विकास की प्रक्रिया में सौंदर्यपरकता, दक्षता को प्रोत्साहित करना और उसका संवर्धन करना और राजस्व का सृजन करना;
- (ध) पर्याप्त अवसंरचना सुविधा और लोक तथा नागरिक सुविधा के उपबंध को सुनिश्चित करना और उसके पर्याप्त अनुरक्षण के लिए स्थायी इंतजाम करना;
- (न) अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी-वाणिज्यिक, आर्थिक और पर्यावरणीय साध्यता अध्ययनों को संचालित करना, तैयार करना और निर्धारित करना;
- (प) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अनुमोदन और अनुज्ञा विनियमित करना, प्रदान करना, निलम्बित करना, प्रत्याहृत करना या रद्द करना;
- (फ) ऐसे अतिक्रमणों और संनिर्माणों को हटाना जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न किये गये हों या जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किये जायें;
- (ब) बोर्ड को विशेष विनिधान रीजन और इसकी परियोजनाओं की योजना, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंध और विनियमन की अद्यतन जानकारी देना और इससे संबंधित मामलों पर राज्य सरकार और बोर्ड द्वारा जारी किये गये निदेशों, नीतियों, मार्गदर्शनों और मापदण्डों को क्रियान्वित करना;
- (भ) धारा 71 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विनियम बनाना;
- (म) विशेष विनिधान रीजन और इसकी परियोजनाओं को वैश्विक रूप से विज्ञापित करना;

- (य) विशेष विनिधान रीजन के भीतर लोक और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- (यक) विशेष विनिधान रीजन के भीतर नगरपालिक सेवाएं उपलब्ध कराना;
- (यख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिधि की योजना बनाना, उसका विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंध और विनियमन करना;
- (यग) अध्याय 6 के अनुसार विशेष विनिधान रीजन के लिए भूमि उपाप्त करना;
- (यघ) विशेष विनिधान रीजन के लिए नगरीय परिवहन सुविधा प्रदान करना;
- (यङ) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अधीनस्थ इतने अधिकारियों और सेवकों को, जितने वह इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे नियुक्ति और सेवा की ऐसी शर्तों पर और ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के साथ जो वह विनियमों द्वारा अवधारित करे, नियुक्त करना; और
- (यच) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा इसे समनुदेशित किये जायें।

अध्याय 5

विशेष विनिधान रीजन के लिए योजना

मास्टर विकास योजना

11. मास्टर विकास योजना की तैयारी.- किसी विशेष विनिधान रीजन के लिए किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात्,

यथाशक्य शीघ्र, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या बोर्ड के सामान्य या विनिर्दिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुए, नागरिक सर्वेक्षण करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विशेष विनिधान रीजन और उसकी परिधि, यदि कोई हो, के रूप में घोषित किये गये क्षेत्र के लिए विद्यमान भूमि उपयोग का नक्शा तैयार करेगा और मास्टर विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगा।

12. विद्यमान मास्टर विकास योजनाओं का लागू होना.- (1) यदि, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व, राज्य सरकार ने विशेष विनिधान रीजन के किसी क्षेत्र के लिए कोई मास्टर विकास योजना अधिसूचित कर दी हो तो ऐसी मास्टर विकास योजना उस विशेष विनिधान रीजन के उस क्षेत्र के लिए मास्टर विकास योजना होगी।

(2) यदि किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी विकास प्राधिकरण का कोई क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन में सम्मिलित किया गया है, तो उस स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी मास्टर विकास योजना, ऐसे परिवर्तनों और उपान्तरणों के साथ, जिन्हें क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उचित समझे, विशेष विनिधान रीजन के उस क्षेत्र के लिए मास्टर विकास योजना होगी:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन ऐसी मास्टर विकास योजना को अंगीकार करते समय, किसी स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण की मास्टर विकास योजना में यथा उपबंधित आबादी विकास के लिए बफर में, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा कोई परिवर्तन या उपान्तरण नहीं किया जायेगा।

13. मास्टर विकास योजना की अंतर्वस्तु.- (1) मास्टर विकास योजना सामान्यतः विशेष विनिधान रीजन के क्षेत्र में भूमि के उपयोग को विनियमित करने की रीति उपदर्शित करेगी और वह रीति भी उपदर्शित करेगी जिसमें उस भूमि का विकास किया जायेगा। विशिष्टतया, यह निम्नलिखित मामलों का उपबंध करेगी, अर्थात्:-

- (क) आर्थिक क्रियाकलाप, अवसंरचना सुविधा, लोक और नागरिक सुविधा के प्रयोजन हेतु आरक्षित क्षेत्रों के लिए, जो जिनमें विशेष विनिधान रीजन को विभाजित किया जायेगा और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए;
- (ख) प्रदूषक और गैर-प्रदूषक औद्योगिक क्रियाकलापों, विनिर्माण क्रियाकलापों, आर्थिक क्रियाकलापों के अन्य प्रकार, अवसंरचना सुविधा, लोक और नागरिक सुविधा, अवसंरचना परियोजनाओं और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का सीमांकन और आरक्षण;
- (ग) विशेष विनिधान रीजन के भावी विकास के लिए व्यापक भूमि आवंटन;
- (घ) वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए सम्पूर्ण सड़क और मार्ग का पैटर्न और यातायात परिचालन पैटर्न और मुख्य सड़कों और मार्गों का सुधार;
- (ङ) अवसंरचना सुविधा, लोक और नागरिक सुविधा, और ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए जिनकी दूरस्थ स्रोतों से आवश्यकता हो, उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था;
- (च) आबादी विकास के लिए बफर;
- (छ) ऐसे समस्त मामले जो राज्य सरकार द्वारा निदिष्ट किये जायें;
- (ज) ऐसे समस्त मामले जो बोर्ड द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों या मापदण्डों में उपबंधित किये जायें; और
- (झ) ऐसे समस्त मामले जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) मास्टर विकास योजना के प्रारूप में ऐसे नक्शे और अन्य वर्णनात्मक मामले सम्मिलित होंगे जो प्रस्तावों को स्पष्ट करने और उन्हें दृष्टांत के साथ समझने के लिए आवश्यक हों।

14. मास्टर विकास योजना के प्रारूप का पब्लिक नोटिस.- क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विशेष विनिधान रीजन और उसकी परिधि के रूप में घोषित क्षेत्र, यदि कोई हो, के लिए मास्टर विकास योजना का प्रारूप तैयार होने पर राजपत्र में ऐसी अन्य रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाये और यह कथन करते हुए एक नोटिस जारी करेगा और प्रकाशित करेगा कि मास्टर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है, उस स्थान का नाम विनिर्दिष्ट करेगा जहां इसकी एक प्रति जनता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी और यह कि उसकी प्रतियां या उससे लिये गये उद्धरण, सही होने के प्रमाण के साथ उपयुक्त कीमत पर विक्रय के लिए जनता को उपलब्ध होंगे और राजपत्र में नोटिस की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करेगा।

15. मास्टर विकास योजना के प्रारूप पर आक्षेप.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यदि धारा 14 के अधीन अनुज्ञात किये गये समय के भीतर-भीतर, कोई व्यक्ति मास्टर विकास योजना के प्रारूप संबंधी कोई आक्षेप या सुझाव, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को लिखित में संसूचित करता है तो, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उसके द्वारा प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी रीति में जिसमें वह उचित समझे, मास्टर विकास योजना को उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।

(2) मास्टर विकास योजना का इस प्रकार उपान्तरित प्रारूप राज्य सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किये जाने से कम से कम एक मास पूर्व राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा।

16. मास्टर विकास योजना के प्रारूप की मंजूरी.- (1) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण मास्टर विकास योजना के प्रारूप को, धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास की कालावधि के अवसान पर, राज्य सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार, उसे प्रस्तुत की गयी मास्टर विकास योजना के प्रारूप को या तो किसी उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरणों के अध्यक्षीन, जो वह उचित समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मंजूर कर सकेगी, या मास्टर विकास योजना के प्रारूप को, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को, जैसे कि वह निदिष्ट करे, उपान्तरित करने के लिए वापिस लौटा सकेगी, या मंजूरी प्रदान करने से इन्कार कर सकेगी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को नयी मास्टर विकास योजना तैयार करने का निदेश दे सकेगी:

परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपान्तरण सारवान् प्रकृति के हैं, वहां राज्य सरकार राजपत्र में और स्थानीय समाचारपत्रों में भी किसी भी व्यक्ति से, प्रस्तावित उपान्तरणों के संबंध में एक नोटिस, ऐसे नोटिस की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करते हुए, प्रकाशित करेगी।

(3) राज्य सरकार, मास्टर विकास योजना प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने से पूर्व, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी।

(4) राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचना में अन्तिम मास्टर विकास योजना के प्रचालन की ऐसी तारीख नियत करेगी जो इसके प्रकाशन से एक मास से पूर्व की नहीं होगी।

(5) ऐसी मास्टर विकास योजना, जो प्रचालन में आ चुकी हो, "अन्तिम मास्टर विकास योजना" कही जायेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण पर आबद्धकर होगी।

17. अन्तिम मास्टर विकास योजना का उपान्तरण.- (1) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्तिम मास्टर विकास योजना में किये गये किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग को उपान्तरित किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को उपान्तरणों के निष्पादन के लिए निदेश दे सकेगी।

(2) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, उप-धारा (1) के अधीन दिये गये निदेश की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर, प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में जो ऐसे नोटिस के दिन से एक मास पश्चात् का न हो, किसी व्यक्ति से आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करते हुए, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से जो विनियमों द्वारा विहित की जाये, एक नोटिस प्रकाशित करेगा; और प्रस्तावित उपान्तरण द्वारा प्रभावित समस्त व्यक्तियों पर भी नोटिस की तामील करेगा और किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को सुने जाने के पश्चात्, प्रस्तावित उपान्तरण को, संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ राज्य सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) राज्य सरकार, प्रभावित व्यक्तियों को और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुमोदित उपान्तरण को परिवर्तनों सहित या उनके बिना, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, प्रकाशित करायेगी। उपान्तरण के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, अन्तिम मास्टर विकास योजना तदनुसार उपान्तरित की गयी समझी जायेगी।

18. मास्टर विकास योजना का पुनरीक्षण.- क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, मास्टर विकास योजना के प्रचालन में आने की तारीख से दस वर्ष में कम से कम एक बार, यदि आवश्यक हो तो, नया सर्वेक्षण करने और अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र का विद्यमान भू-उपयोग का नक्शा तैयार करने के पश्चात् मास्टर विकास योजना को या तो पूर्णतः

या भागतः पृथक् रूप में पुनरीक्षित कर सकेगा, और किसी भी समय जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाये, तब पुनरीक्षित करेगा, और धारा 11 से 16 तक के उपबंध, जहां तक लागू किये जा सकें, मास्टर विकास योजना के ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में लागू होंगे।

विकास स्कीमें और जोन विकास योजनाएं

19. विकास स्कीम की तैयारी और उसकी अंतर्वस्तु.- (1) कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, मास्टर विकास योजना या जोन विकास योजना के उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए, एक या अधिक विकास स्कीमें तैयार कर सकेगा।

(2) विकास स्कीम में निम्नलिखित किसी या समस्त मामलों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) वह रीति जिसमें क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विशेष विनिधान रीजन में या उसकी परिधि में चाहे उस पर विकास किया जाकर या अन्यथा, और वे प्रक्रम जिनके द्वारा ऐसा विकास किया जाना है, भूमि का उपयोग प्रस्तावित करता है;
- (ख) जल राशियों को सम्मिलित करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए प्रस्ताव;
- (ग) प्लोटों का अभिन्यास करना या पुनः अभिन्यास करना, चाहे वे खाली हों या उन पर पहले से ही निर्माण हो चुका हो या प्लोटों का विलयन या पुनर्गठन या उप-विभाजन;
- (घ) भवनों, पुलों और अन्य संरचनाओं का संनिर्माण, परिवर्तन और हटाया जाना;
- (ङ) अवसंरचना सुविधा और लोक तथा नागरिक सुविधा के लिए भूमि का आरक्षण और आबंटन;

(च) आर्थिक क्रियाकलाप, अवसंरचना सुविधा, लोक और नागरिक सुविधा और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि का आबंटन;

(छ) नये मार्गों या सड़कों का अभिन्यास, मार्गों, सड़कों का संनिर्माण, मोड़ा जाना, विस्तार, परिवर्तन, सुधार और बन्द किया जाना और संचार, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत, गैस, जलमार्ग, नहरों, जल प्रदाय, ऐसे क्षेत्रों को चाहे निकट के या दूरस्थ स्रोतों से जल प्रदाय उपलब्ध कराने के लिए दीर्घावधि इंतजाम, मलवहन, सतह पर का या अव-मृदा जल निकास और मलवहन का निस्तारण सहित जल निकास, ठोस अपशिष्ट और कचरा और इसके उपोत्पादों का विनिर्माण, और वर्तमान और भावी आवश्यकताओं पर आधारित अन्य अवसंरचना सुविधा;

(ज) ऐतिहासिक महत्व या राष्ट्रीय हित या प्राकृतिक सौन्दर्य की वस्तुओं का और धार्मिक प्रयोजनों के लिए वास्तविक रूप से उपयोग किये जा रहे भवनों का परिरक्षण और संरक्षण;

(झ) जहां तक विकास स्कीम को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, किसी राजस्थान विधि के अधीन बनाये गये या जारी किये गये किन्हीं नियमों, उप-विधियों, विनियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों का निलम्बन;

(ञ) विकास स्कीम के निष्पादन के लिए आवश्यक या उससे प्रभावित या किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय द्वारा या अन्यथा अर्जन; और

(ट) ऐसे अन्य मामले जिनसे उस क्षेत्र के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना संभावित हो या ऐसे मामले जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत नहीं हों, जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमों द्वारा अधिकृत किये जायें।

20. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की विकास स्कीम बनाने के अपने आशय की घोषणा करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा विरचित दिशानिर्देश और मापदण्ड, इस संबंध में यदि कोई प्रचलित हों, के अधीन रहते हुए, कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, विशेष विनिधान रीजन, उसकी परिधि, या उसके किसी भाग के संबंध में विकास स्कीम बनाने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगा:

परन्तु किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा, किसी मास्टर विकास योजना में आबादी विकास के लिए बफर के रूप में उपबंधित क्षेत्रों के संबंध में, संबंधित ग्राम पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिका की पूर्व सहमति के सिवाय, इस उप-धारा के अधीन कोई घोषणा नहीं की जायेगी।

(2) विकास स्कीम बनाये जाने के आशय की घोषणा की तारीख से तीस दिवस के अपश्चात्, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उक्त घोषणा को राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में, जैसीकि विनियमों द्वारा उपबंधित की जाये, प्रकाशित करेगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में समस्त युक्तियुक्त समय पर जनता के निरीक्षण के लिए रखी जायेगी।

21. विकास स्कीम के प्रारूप का बनाया जाना और प्रकाशित किया जाना और नोटिस के माध्यम से इसका प्रचालन.- (1) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, घोषणा की तारीख से बारह मास के अपश्चात्, उस

क्षेत्र के लिए, जिसके संबंध में घोषणा की गयी थी, विकास स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा।

(2) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राजपत्र में और ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाये, यह कथन करते हुए एक नोटिस प्रकाशित करेगा कि ऐसे क्षेत्र के संबंध में विकास स्कीम का प्रारूप बनाया गया है और नोटिस में उस स्थान के नाम का कथन होगा, जहां जनता द्वारा निरीक्षण के लिए इस प्रारूप की एक प्रति उपलब्ध होगी और यह कथन भी होगा कि उसकी प्रतियां या उससे लिया गया कोई भी उद्धरण, जिसका सही होना प्रमाणित हो, जनता को विक्रय के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे।

(3) विकास स्कीम के प्रारूप की तैयारी के बारे में उप-धारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के पश्चात्, यदि उसके द्वारा प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसी विकास स्कीम के प्रारूप के संबंध में कोई आक्षेप लिखित में संसूचित करता है, तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसे आक्षेप पर विचार करेगा और, विकास स्कीम के प्रारूप में ऐसे आवश्यक उपान्तरण कर सकेगा जैसाकि वह उचित समझे। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, अन्तिम विकास स्कीम को राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाये, प्रकाशित करेगा और वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको वह प्रवर्तन में आयेगी।

22. किसी त्रुटि, अनियमितता या कमी के आधार पर विकास स्कीम में फेर-फार करने की शक्ति.- यदि अन्तिम विकास स्कीम के प्रवर्तन में आने के पश्चात्, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का यह विचार हो कि विकास स्कीम में किसी त्रुटि, अनियमितता या कमी के कारण कोई दोष है, तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऐसी त्रुटि, अनियमितता या कमी को हटाने के लिए विकास स्कीम में संशोधन या फेर-फार कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई संशोधन करने से पूर्व क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण राजपत्र में इस आशय का एक नोटिस जारी करेगा

और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित की जाये।

23. विकास स्कीम में फेर-फार करने की शक्ति.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विकास स्कीम, इस अधिनियम के अनुसार मंजूर की गयी और राजपत्र में प्रकाशित, संशोधित विकास स्कीम द्वारा किसी भी समय संशोधित की जा सकेगी:

परन्तु जब कोई विकास स्कीम इस प्रकार संशोधित की जाती है तो धारा 19 से 21 के उपबंध, जहां तक लागू हो सकें ऐसे संशोधन और पश्चात्कर्ती विकास स्कीम के बनाये जाने पर लागू होंगे और विकास स्कीम को संशोधित करने की क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के आशय की घोषणा की तारीख को धारा 20 में निर्दिष्ट किसी विकास स्कीम के बनाये जाने के आशय की घोषणा की तारीख समझा जायेगा।

24. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की करार करने की शक्ति.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जो किसी मास्टर विकास योजना या किसी विकास स्कीम में उपबंधित किया जाना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी करार करने के लिए सक्षम होगा और जब तक उसमें अभिव्यक्त रूप से ऐसा अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाये, ऐसा करार उस दिन या उसके पश्चात् प्रभावी होगा, जिस दिन मास्टर विकास योजना या, यथास्थिति, विकास स्कीम प्रवृत्त होगी।

25. सरकारी एजेंसी को निदेश देने की शक्ति.- (1) कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, इस अध्याय के अधीन तैयार की गयी किसी योजना या स्कीम के क्रियान्वयन के विषय में, किसी भी सरकारी एजेंसी या व्यक्ति को, ऐसे निदेश दे सकेगा जैसेकि वह उचित समझे, और ऐसी सरकारी एजेंसी या व्यक्ति ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी सरकारी एजेंसी या व्यक्ति को कोई निदेश दिया जाता है, वहां ऐसी सरकारी एजेंसी या

व्यक्ति, ऐसा निदेश प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, ऐसे निदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसीकि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि, इस अध्याय के अधीन मंजूर की गयी प्रत्येक योजना और स्कीम इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने के हित में निष्पादित की गयी है।

26. जोन विकास योजनाओं की तैयारी.- इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण मास्टर विकास योजना के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए या अन्यथा, राज्य सरकार या बोर्ड के सामान्य या विनिर्दिष्ट निदेशों के अध्यधीन, विशेष विनिधान रीजन के या इसकी परिधि के किसी जोन के लिए जोन विकास योजना तैयार कर सकेगा। जोन विकास योजना सामान्यतः उन मामलों के लिए उपबंध कर सकेगी जैसाकि नियमों द्वारा विहित किया जाये। धारा 19 से 21, यथासंभव विस्तार तक, जोन विकास योजना की तैयारी, प्रकाशन और अनुमोदन पर वैसे ही लागू होगी जैसीकि वे विकास स्कीम पर लागू होती हैं।

अध्याय 6

भूमि का उपापन

27. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में भूमि का निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित, किसी विशेष विनिधान रीजन में स्थित भूमि, (उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि और उस अधिनियम की धारा 102क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी नजूल भूमि और आबादी

क्षेत्र और किसी गांव की आबादी के विकास के लिए पृथक् रखी गयी भूमि और नगरपालिक क्षेत्र, और इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के आधार पर किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि, को छोड़कर) धारा 9 के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन होने पर तुरंत राज्य सरकार के निमित्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित और उसके व्ययनाधीन रखी हुई समझी जायेगी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उस भूमि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर सकेगा और उसका व्ययन, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिकृत करे और ऐसी रीति से जो वह समय-समय पर नियमों द्वारा विहित करे,-

(क) उस पर किसी विकास का जिम्मा लिये बिना या उसे कार्यान्वित किये बिना; या

(ख) ऐसे विकास का जिम्मा लेने या उसे कार्यान्वित करने के पश्चात्, जैसाकि वह उचित समझे,

ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रीति से और ऐसी प्रसविदाओं और शर्तों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, कर सकेगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित कोई भूमि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा, अपने कृत्यों को करने के लिए किसी भी समय अपेक्षित है तो वह, किसी राजस्थान विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी वह उचित समझे, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के व्ययनाधीन रख सकेगी;

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व, राज्य सरकार संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को सुने जाने का अवसर देगी।

(3) यदि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित कोई भूमि, किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए या राज्य

सरकार द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी समय अपेक्षित है, तो राज्य सरकार, ऐसी भूमि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी वह उचित समझे, ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के किसी विभाग के व्ययनाधीन पर रख सकेगी:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, राज्य सरकार संबंधित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को सुने जाने का अवसर देगी।

(4) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अर्जन के समय पर प्रवृत्त, भूमि अर्जन से संबंधित विधि के उपबंधों के अनुसार भूमि अर्जित कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार, भू-राजस्व से संबंधित विधियों के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा स्वामित्वाधीन, अर्जित या नियंत्रणाधीन भूमि को, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को अंतरित कर सकेगी।

(6) जहां सरकारी एजेंसियों की कोई भूमि या कोई अन्य संपत्ति इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित की जाती है, और ऐसी सरकारी एजेंसियों को ऐसी भूमि और अन्य संपत्ति के लिए प्रतिकर, यदि कोई हो, संदत्त किया जाना है तो वह प्रतिकर ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

28. निजी पक्षकारों से भूमि का उपापन.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी वह विनिश्चित करे, अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किसी भूमि को, क्रय, पट्टे, विनिमय, करार द्वारा या अन्यथा, जिसमें भूमि का पूल बनाया जाना सम्मिलित है, उपाप्त कर सकेगा।

29. कतिपय भूमियों का व्ययन, इत्यादि.- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित या उसको अन्तरित या उसके व्ययनाधीन रखी गयी या उसके द्वारा उपाप्त कोई

भूमि, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा व्ययन के लिए उपलब्ध होगी।

अध्याय 7

अवसंरचना परियोजनाएं

30. अवसंरचना परियोजनाओं का जिम्मा लेने की रीति.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, किसी अवसंरचना परियोजना की पहचान कर सकेगा या उसकी संकल्पना कर सकेगा और आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन करने के पश्चात्, ऐसी अवसंरचना परियोजना को सीधे अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से कार्यान्वित कर सकेगा या लोक निजी भागीदारी के माध्यम से इसका जिम्मा ले सकेगा:

परन्तु जहां परियोजना लागत दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक परिकल्पित हो, वहां अवसंरचना परियोजना का जिम्मा राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए लिया जायेगा।

31. रियायत करार.- (1) रियायत करार की प्रकृति ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को, उसकी किसी प्रविष्टि या उसके किसी भाग को, उसमें अन्तःस्थापन द्वारा, या उसमें से लोप द्वारा, संशोधित कर सकेगी और अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी प्रविष्टि या भाग, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये या, यथास्थिति, से लोपित किये गये समझे जायेंगे।

(3) रियायत करार के अधीन प्रदत्त कोई रियायत, तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए होगी जिसके पश्चात् रियायतग्राही के समस्त अधिकार और हित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को अंतरित हो जायेंगे:

परन्तु यदि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का रियायतग्राही के कार्य से समाधान हो जाता है तो रियायत करार, का विस्तार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों में अधिकथित

की जायें, पंद्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

32. अवसंरचना परियोजना का क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित होना.- इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार जिम्मे ली गयी समस्त अवसंरचना परियोजनाएं, रियायत करार की प्रसविदाओं के अधधीन रहते हुए, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित रहेंगी।

अध्याय 8

आर्थिक क्रियाकलाप और भूमि और भवन का आवंटन

33. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का नोडल एजेंसी होना.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विशेष विनिधान रीजन में किसी आर्थिक क्रियाकलाप को प्रारंभ करने या अवसंरचना सुविधा के उपबंध के लिए संपर्क का एकल स्थान होगा और वह राजस्थान उद्यम एकल खिडकी सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 5 के अधीन नोडल एजेंसी भी होगा।

34. आर्थिक क्रियाकलाप का प्रस्ताव और अनुमोदन.- (1) कोई व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाकलाप प्रारंभ करने का आशय रखता है, उस संबंध में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसी फीस के साथ, जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों में उपबंधित की जाये, प्रस्ताव करेगा।

(2) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और उसे उपांतरण सहित या रहित अनुमोदित या नामंजूर कर सकेगा।

35. अनुमोदन पत्र.- प्रस्ताव के अनुमोदन पर, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उस व्यक्ति को, जिसने धारा 34 के अधीन प्रस्ताव किया है, अनुमोदन पत्र जारी करेगा।

36. भूमि या भवन का आबंटन.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, भूमि और/या भवन की उपलब्धता और उस व्यक्ति, जिसने अनुमोदन पत्र प्राप्त किया है, की आवश्यकताओं के आधार पर, भूमि और/या भवन आबंटित कर सकेगा और उसे इस अधिनियम के अनुसार अवसंरचना सुविधा और लोक तथा नागरिक सुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

अध्याय 9

विशेष विनिधान रीजन में विकास

37. मास्टर विकास योजना के प्रवृत्त होने से पूर्व भूमि का उपयोग और विकास.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण विशेष विनिधान रीजन या उसके किसी भाग और परिधि को, यदि कोई हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(2) नियंत्रित क्षेत्र के भीतर कोई भी भूमि, जिसके लिए कोई मास्टर विकास योजना अधिसूचित नहीं की गयी है, विनियमों द्वारा विहित रीति से मंजूर की गयी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के सिवाय, उन प्रयोजनों से भिन्न, जिनके लिए उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख को उपयोग में ली जा रही थी, उपयोग में नहीं ली जायेगी।

38. मास्टर विकास योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् विकास के लिए अनुज्ञा की मंजूरी पर निर्बधन.- (1) मास्टर विकास योजना की अधिसूचना की तारीख से, कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई अन्य व्यक्ति, मास्टर विकास योजना में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर, किसी विकास के

लिए, किसी भूमि या भवन के उपयोग की स्थापना या परिवर्तन नहीं करेगा या तब तक कोई जिम्मा नहीं लेगा या उसके लिए कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा जब तक कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने, विनियमों द्वारा विहित रीति से, उसके लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदन नहीं दे दिया हो।

(2) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, मास्टर विकास योजना में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर तब तक किसी विकास का जिम्मा नहीं लेगा या कोई अनुज्ञा मंजूर नहीं करेगा जब तक कि उसने, विनियमों में विहित रीति से, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया हो।

39. विकास स्कीम की घोषणा या बनने के पश्चात् उपयोग और विकास पर निर्बंधन.- (1) विनियमों में विहित रीति से मंजूर की गयी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के सिवाय, किसी विकास स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र में किसी भूमि के विकास का जिम्मा नहीं लिया जायेगा या उसका विकास नहीं किया जायेगा।

(2) उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको विकास स्कीम बनाये जाने के आशय की घोषणा धारा 20 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, कोई भी व्यक्ति विकास स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या भवन के उपयोग की स्थापना या परिवर्तन या कोई विकास तब तक नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, विनियमों द्वारा विहित रीति से, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को आवेदन कर अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली हो।

40. विकास करने की अनुज्ञा को उपांतरित करने की शक्ति.- (1) यदि किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि विशेष विनिधान रीजन या परिधि के सामान्य विकास, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंध को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक या समीचीन है कि इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गयी अनुज्ञा या अनुमोदन को प्रतिसंहत या उपांतरित किया जाना चाहिए, तो वह, ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में

अनुज्ञा मंजूर की गयी थी, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा अनुज्ञा को उस सीमा तक जहां तक उसे आवश्यक प्रतीत हो, प्रतिसंहत या उपांतरित कर सकेगा:

परन्तु-

(क) जहां विकास किसी भवन संक्रिया या अन्य संक्रिया को कार्यान्वित किये जाने से संबंधित है, वहां ऐसा कोई भी आदेश ऐसी संक्रियाओं को, जो पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं, प्रभावित नहीं करेगा, या इन संक्रियाओं में सारवान् प्रगति होने या इनके पूरे हो जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित नहीं किया जायेगा;

(ख) जहां विकास भूमि के उपयोग के परिवर्तन से संबंधित है, वहां ऐसा कोई भी आदेश ऐसा परिवर्तन हो जाने के पश्चात् किसी भी समय पारित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपांतरण लोकहित में आवश्यक है, वहां प्रथम परन्तुक का उपबंध लागू नहीं होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा अनुज्ञा प्रतिसंहत या उपांतरित की जाती है और कोई स्वामी, ऐसी अनुज्ञा जिसे प्रतिसंहरण या उपांतरण के द्वारा निष्फल कर दिया गया है, के अनुसार विकास को कार्यान्वित किये जाने पर उपगत किये गये व्यय के लिए, विहित समय के भीतर और रीति से, प्रतिकर का दावा करता है, वहां क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, उस स्वामी को ऐसे अधिकारी, जिसे इस निमित्त नियुक्त किया गया है, के द्वारा सुने जाने का उचित अवसर दिये जाने के पश्चात् और उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् युक्तियुक्त प्रतिकर का निर्धारण करेगा और स्वामी को युक्तियुक्त प्रतिकर का संदाय करेगा।

41. अनुज्ञा को रद्द करने की शक्ति.- किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुज्ञा प्रदान किये जाने या अनुमोदन किये जाने के

पश्चात् किसी भी समय, यदि उस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अनुज्ञा या अनुमोदन किसी तात्त्विक दुर्यपदेशन के कारण प्रदान किया गया था या इसमें आबंटन के निबंधनों और शर्तों का भंग किया गया है या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों का कोई उल्लंघन किया गया है तो वह उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में अनुज्ञा या अनुमोदन प्रदान किया गया था, को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी अनुज्ञा या अनुमोदन को रद्द कर सकेगा और किया गया कोई भी विकास अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा और उसके संबंध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

42. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.-

(1) धारा 40 या 41 के अधीन किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकरण, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गयी अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये विनिश्चय को उपांतरित कर सकेगा।

43. विनियमों के उल्लंघन में भवन के परिनिर्माण या अधिभोग पर निर्बंधन.- कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किन्हीं भी भवन विनियमों के उल्लंघन में विशेष विनिधान रीजन या उसकी परिधि में किसी भवन का परिनिर्माण या अधिभोग नहीं करेगा।

अध्याय 10

अपराध और अभियोजन

44. किसी अप्राधिकृत स्कीम या परियोजना में विक्रय, पट्टा या बुकिंग के लिए शास्ति.- (1) विशेष विनिधान रीजन में किसी स्कीम या

परियोजना का कोई भी विकासकर्ता अपनी स्कीम या परियोजना के किसी भाग के विक्रय, पट्टा या बुकिंग के लिए तब तक जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आमन्त्रित नहीं करेगा, जब तक कि विकासकर्ता ने स्कीम या परियोजना के प्रारंभ होने से पूर्व, विनियमों द्वारा विहित रीति से, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से इस निमित्त अनुज्ञा अभिप्राप्त न कर ली हो।

(2) जो कोई, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, किसी स्कीम या परियोजना में किसी भाग के लिए विक्रय, पट्टा या बुकिंग करने के लिए किसी व्यक्ति को आमन्त्रित या उत्प्रेरित करता है, वहां वह, दोषसिद्धि पर, साधारण कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

45. भूमि और भवन पर अतिक्रमण या अवरोध कारित करना.-

(1) जो कोई, किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित किसी भूमि या भवन पर या किसी ऐसी भूमि या भवन पर, जो निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या भवन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से संबंधित हो या उसमें निहित हो अथवा नहीं, अतिक्रमण करता है, वहां वह, दोषसिद्धि पर, साधारण कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई, किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित किसी भूमि या भवन पर या ऐसी भूमि या भवन पर, जो निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या भवन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से संबंधित हो या उसमें निहित हो अथवा नहीं, इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत हुए बिना, कोई अवरोध कारित करता है, वहां वह, दोषसिद्धि पर, साधारण कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा

किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी को किसी ऐसे अवरोध या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने के खर्चे उस व्यक्ति से वसूल किये जायेंगे जिसने ऐसा अवरोध या अतिक्रमण कारित किया है।

(4) जो कोई, इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत हुए बिना किसी ऐसी भूमि से, जो निजी भूमि नहीं है, मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को हटाता है, वहां वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

46. विशेष विनिधान रीजन में अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण को रोकने की शक्ति.- (1) जहां किसी विशेष विनिधान रीजन में किसी भूमि पर कोई अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण किया जा रहा हो किन्तु जो पूर्ण न हुआ हो, वहां क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, स्वामी और विकास या संनिर्माण करने वाले व्यक्ति पर, एक नोटिस, नोटिस की तामील की तारीख से भूमि के विकास या संनिर्माण को रोकने की अपेक्षा करते हुए, तामील कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसे नोटिस की तामील होने के पश्चात् भी चाहे स्वयं के लिए या स्वामी या अन्य किसी भी व्यक्ति के निमित्त ऐसी भूमि पर विकास या संनिर्माण करना जारी रखता है, वहां वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और जहां अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण प्रथम अपराध के पश्चात् भी निरन्तर जारी रहता है, वहां प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे अपराध के निरन्तर जारी रहने के दौरान ऐसे और जुर्माने से, जो

प्रत्येक दिवस के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण करना जारी रखता है, वहां क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, किसी अभियोजन या अन्य कार्यवाहियां या कार्रवाई, जो इस अधिनियम के अधीन प्रारंभ की जा सकती हों, के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा ऐसा अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण कार्य करना जारी रखा गया हो और उसके समस्त सहायकों और कर्मकारों को ऐसे अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण के स्थान से, ऐसे समय के भीतर जो अध्यक्ष में विनिर्दिष्ट किया जाये, हटाने के लिए किसी पुलिस अधिकारी से अपेक्षा करने की शक्ति होगी और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्यक्ष का तदनुसार अनुपालन करेगा। ऐसे व्यक्तियों को हटाये जाने के अतिरिक्त, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी उपस्करों, औजारों, यानों इत्यादि सहित ऐसी संनिर्माण सामग्री को अधिहृत कर सकेगा जिन्हें ऐसा व्यक्ति अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण के लिए उपयोग में ले रहा था।

(4) इस अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत विकास या संनिर्माण को रोकने के परिणामस्वरूप उठाई गयी किसी भी हानि के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिकर का दावा नहीं किया जायेगा।

47. अप्राधिकृत विकास या उपयोग के लिए शास्ति.- कोई व्यक्ति, जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर, किसी भूमि या भवन का कोई ऐसा विकास प्रारंभ करता है, उसका जिम्मा लेता है या उसे कार्यान्वित करता है, जो-

(क) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना किया जाता है; या

(ख) मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में है जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गयी थी; या

(ग) विकास की अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण करने के पश्चात् किया जाता है; या

(घ) भवन विनियमों के उल्लंघन में किया जाता है,

वहां वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर, प्रथम अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे अपराध के निरन्तर जारी रहने के दौरान ऐसे और जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

48. अप्राधिकृत विकास को सील करने और/या हटाने की शक्ति.- धारा 45 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां धारा 46 या 47 के अधीन यथा उपबंधित भूमि या भवन का कोई अप्राधिकृत विकास किया गया है, वहां क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को, ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा विहित की जाये, भवनों को सील करने की और/या ऐसे अप्राधिकृत विकास को हटाने की शक्ति होगी।

49. प्रवेश की शक्ति.- (1) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किसी व्यक्ति को, उसके सहायकों या कर्मचारों सहित या उनके बिना, किसी भी भूमि या भवन में या उसके ऊपर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,-

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं योजनाओं या स्कीमों की तैयारी करने के लिए, ऐसी भूमि या भवन का कोई मापन या तलमापन करते हुए कोई सर्वेक्षण करने के लिए;

(ख) अवमृदा को खोदने या बेधने के लिए;

- (ग) संकर्मों की बाउण्ड्री और आशयित रेखाएं निश्चित करने के लिए;
- (घ) चिह्न लगाकर, और खाइयां खोदकर ऐसे लेवल, बाउण्ड्री और रेखाएं चिह्नित करने के लिए;
- (ङ) निर्माणाधीन संकर्मों का निरीक्षण करने और मलनालियों तथा नालियों का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए;
- (च) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का उल्लंघन अभिनिश्चित करने के लिए कोई जांच, निरीक्षण या तलाशी करने के लिए; या
- (छ) कोई भी अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक हो:

परन्तु-

- (i) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी नहीं हो तो भूमि अथवा भवन के स्वामी को कम से कम चौबीस घण्टे का युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा; और
- (ii) प्रत्येक बार सूचना दी जायेगी ताकि किसी अपार्टमेन्ट की अन्तःवासी महिलाओं के लिए रखे गये किसी भाग से महिलाएं किसी ऐसे भाग में जा सकें जहां उनकी वैयक्तिक एकान्तता में विघ्न न हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा,-

- (क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसका खोलना आवश्यक समझता है; और
- (ख) यदि अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन कृत्यों में से किसी कृत्य के क्रियान्वयन में किसी भूमि या भवन के किसी स्वामी या अधिभोगी को कोई क्षति होती है या होनी संभाव्य है तो इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे प्रवेश के समय उस स्वामी या अधिभोगी को ऐसी नुकसानी संदत्त करेगा या उसका संदाय निविदत्त करेगा और इस प्रकार संदत्त या निविदत्त रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद की दशा में, वह उस विवाद को तुरन्त अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगा और उस पर अपील प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

50. प्रवेश में बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति.- जो कोई,-

- (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा पहुंचाता है;
- (ख) किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य, कर्मचारी या सेवक का या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी का उस समय प्रतिरोध करता है या बाधा पहुंचाता है जबकि वह उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन या उसे न्यस्त किये गये किसी कृत्य का निर्वहन कर रहा होता है; या
- (ग) किसी भी ऐसे व्यक्ति का प्रतिरोध करता है या बाधा पहुंचाता है जिसके साथ किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य सरकार के

किसी अधिकारी ने संविदा की है, जिसमें कोई रियायतग्राही सम्मिलित है,

तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

51. अपराधों के दण्ड के लिए सामान्य उपबंध.- जो कोई, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं की गयी है तो वह-

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या किसी पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा,

दण्डित किया जायेगा।

52. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया जाता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और
- (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

53. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा उपगत खर्च.- इस अध्याय के अधीन किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा उपगत कोई भी खर्च इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति से क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को देय राशि होगी और उसकी वसूली धारा 59 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

54. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी न्यायालय, धारा 45 या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन अपराध के सिवाय, या किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा या इस निमित्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा अभिव्यक्ततः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किये गये ऐसे अपराध के तथ्यों के लिखित परिवाद किये जाने के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसका भूमि या भवन के उपयोग का अधिकार अप्राधिकृत विकास से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, ऐसे व्यक्ति

या व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने उक्त अप्राधिकृत विकास का जिम्मा लिया है, भी उसी रीति से परिवाद फाइल कर सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसी कार्यवाहियों का सम्यक् नोटिस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को भी दिया जायेगा और यदि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर कार्रवाई के हेतुक को हटा देता है तो न्यायालय की कार्यवाहियों का, किसी भी ऐसी अन्य कार्रवाई या कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिन्हें क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने आरम्भ किया हो या उसके पश्चात् आरम्भ कर सकता हो, उपशमन हो जायेगा।

55. विधिक मामलों के बारे में किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की शक्ति.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण,-

(क) किसी भी विधिक कार्यवाही को संस्थित कर सकेगा, उसका प्रतिवाद कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा; और

(ख) किसी भी विधिक कार्यवाही में या अन्यथा किये गये किसी दावे को स्वीकार कर सकेगा, समझौता कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय वापस नहीं लिया जायेगा।

अध्याय 11

उपयोक्ता प्रभार, फीस और बकाया की वसूली

56. उपयोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसी सेवाओं के लिए और ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से, जैसाकि नियमों द्वारा विहित किया जाये, उपयोक्ता प्रभार अधिरोपित कर सकेगा।

57. अनुमोदन या अनुज्ञा के लिए फीस.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन किन्हीं आवेदनों पर कार्यवाही करने, कोई अनुमोदन, अनुज्ञा या रियायत प्रदान करने के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जैसीकि विनियमों में अधिकथित की जाये।

58. भूमि का प्रीमियम और पट्टा किराया.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उसके द्वारा आबंटित किसी भूमि की बाबत भूमि का पट्टा किराया और उसके द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती विक्रय पर ऐसी दर और ऐसी रीति से प्रीमियम प्रभारित करेगा जैसीकि नियमों द्वारा विहित की जाये।

59. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बकाया धनराशियों की वसूली.- किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बकाया कोई रकम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

अध्याय 12

निधियां, लेखे और संपरीक्षा

60. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की निधियां और वित्त.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसीकि वह समय-समय पर अवधारित करे, ऐसी निधियों का सृजन कर सकेगा, जिसमें कि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां जमा होंगी जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे,-

- (क) राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार में दी जाने वाली अभिदाय की राशि, जो इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित की जाने वाली परिक्रामी निधि के मद्दे पांच करोड़ रुपये के बराबर होगी;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी व्यक्ति से अनुदान, संदान, उधार, अग्रिमों के रूप में या अन्यथा प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ग) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीस और उपयोक्ता प्रभार; और

(घ) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि और/या भवन के पट्टे, प्रीमियम या लागत के मद्दे प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) निधियों का उपयोग, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा उसके कृत्यों के अनुपालन और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रबंध के लिए उपगत खर्चों की पूर्ति के मद्दे किया जायेगा।

61. लेखे और संपरीक्षा.- (1) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से तैयार किये और संधारित किये जायेंगे जैसाकि नियमों द्वारा विहित किया जाये।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखे, निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार या ऐसी रीति से, जो नियमों द्वारा विहित की जाये, संपरीक्षा किये जाने के अध्यक्षीन होंगे।

(3) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपनी निधियों में से अपनी-अपनी संपरीक्षा के लिए प्रभार संदत्त करेंगे, जैसाकि नियमों द्वारा विहित किया जाये।

62. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की उधार लेने और ऋण प्राप्त करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने या अपने द्वारा अभिप्राप्त उधार को वहन करने के लिए ऐसी सीमाओं तक और ऐसी दरों पर और अन्य शर्तों पर, जैसीकि राज्य

सरकार विनिर्दिष्ट करे, किसी भी स्रोत, जिसमें बंधपत्र, डिबेंचर और अन्य लिखतों का जारी करना सम्मिलित हैं, से उधार ले सकेगा और ऋण जुटा सकेगा।

(2) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उधार लिये गये धन का पुनर्संदाय करने के लिए निक्षेप निधि संधारित करेगा और इस निक्षेप निधि में प्रतिवर्ष ऐसी राशि संदत्त करेगा जो इस प्रकार उधार ली गयी समस्त धनराशियों के लिए नियत की गयी कालावधि के भीतर-भीतर पुनर्संदाय के लिए पर्याप्त हो।

(3) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग उस उधार का प्रतिसंदाय करने में या उसके मद्दे उपयोग में लिया जायेगा, जिसके लिए ऐसी निधि का सृजन किया गया था और जब तक कि ऐसे उधार का पूर्णतः प्रतिसंदाय नहीं हो जाता तब तक इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

63. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की परियोजना का वित्तपोषण करने और उसके लिए शर्तें अधिरोपित करने की शक्ति.- कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, किसी भी परियोजना के लिए, जिसमें अवसंरचना परियोजना भी सम्मिलित हैं, ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसीकि राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, किसी व्यक्ति को उधार दे सकेगा या खर्चों को उसके साथ बांट सकेगा।

64. बजट.- (1) कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण प्रतिवर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसाकि विनियमों में अधिकथित किया जाये, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और उसे बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट की प्रतियां, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

65. **वार्षिक रिपोर्ट.-** कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सत्य और सम्पूर्ण लेखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बोर्ड और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

66. **राज्य विधान-मण्डल को लेखा और रिपोर्ट देना.-** राज्य सरकार,-

(क) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखाओं का विवरण; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 13

विवाद का समाधान और अपील

67. **अपील प्राधिकरण.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अपील प्राधिकरण या प्राधिकरणों को स्थापित और गठित कर सकेगी। अपील प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र के लिए अधिकारिता होगी जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) अपील प्राधिकरण का गठन अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर होगा जो विधि या प्रशासन के क्षेत्र में ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों, जैसाकि नियमों द्वारा विहित किया जाये और ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी हो सकेंगे और उन्हें ऐसा वेतन और भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें।

(3) अपील प्राधिकरण का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) राज्य सरकार, अपील प्राधिकरण की सहायता के लिए, इतनी संख्या में ऐसे संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जैसाकि वह आवश्यक समझे।

(5) अपील प्राधिकरण के खर्चे राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे।

(6) इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट अपीलों या विवादों का विनिश्चय करने में इसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, इसकी बैठक की गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, ऐसी होगी जैसीकि नियमों द्वारा विहित की जाये।

(7) अपील प्राधिकरण का कोई कृत्य या प्रक्रिया केवल मात्र उसमें किसी रिति या उसके गठन में की किसी त्रुटि, या इसकी प्रक्रिया में की किसी अनियमितता, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती हो, के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(8) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे ऐसे आदेश की संसूचना के तीस दिवस के भीतर-भीतर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा और अपील प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के किसी उपबंध से उद्भूत कोई विवाद किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। जिस पर अपील प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम और उसके समस्त पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

68. कतिपय विवादों का माध्यस्थम् के लिए निर्देश.- किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और किसी रियायतग्राही के बीच किसी विवाद या मतभेद का निपटारा माध्यस्थम् द्वारा उस रीति से किया जायेगा जैसीकि रियायत करार में उपबंधित की गयी हो।

69. स्थानीय प्राधिकरण के साथ विवाद.- किसी राजस्थान विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और किसी स्थानीय प्राधिकरण के बीच क्षेत्रीय या कृत्यकारी अधिकारिता

से संबंधित कोई विवाद, यदि सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं निपटाया गया है तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

70. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त मामलों या इनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्,-

- (क) धारा 2 के खण्ड (ठ) के अधीन विहित किये जाने वाले क्रियाकलाप और सेवाएं;
- (ख) धारा 2 के खण्ड (य) के अधीन लोक और नागरिक प्रयोजनों के लिए विहित की जाने वाली सुविधाएं;
- (ग) धारा 7 की उप-धारा (10) के अधीन बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें;
- (घ) धारा 9 की उप-धारा (4) के अधीन किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें;
- (ङ) धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन विहित की जाने वाली मास्टर विकास योजना की अंतर्वस्तु;
- (च) धारा 14 के अधीन मास्टर विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए नोटिस के प्रकाशन की रीति;

- (छ) धारा 21 की उप-धारा (2) और (3) के अधीन नोटिस द्वारा विकास स्कीम के प्रकाशन की रीति;
- (ज) धारा 26 के अधीन तैयार की जाने वाली जोन विकास योजना की अंतर्वस्तु;
- (झ) ऐसी शर्तें और निबंधन जिनके अधीन और रीति से धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि का व्ययन किया जा सकेगा;
- (ञ) धारा 48 के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों को सील करने और ऐसे अप्राधिकृत विकास को हटाने की रीति;
- (ट) सेवाएं जिन पर, दरें जिन पर और रीति जिससे धारा 56 के अधीन उपयोक्ता प्रभार अधिरोपित किये जा सकेंगे;
- (ठ) धारा 58 के अधीन पट्टा किराया और प्रीमियम प्रभारित करने की दर और रीति;
- (ड) धारा 61 की उप-धारा (1), (2) और (3) के अधीन वह प्ररूप और रीति जिसमें क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखे तैयार और संधारित किये जायेंगे, वह अन्य रीति जिसमें क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखे संपरीक्षित किये जा सकेंगे और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा संदत्त किये जाने वाले संपरीक्षा के प्रभार;
- (ढ) धारा 67 की उप-धारा (2) और (6) के अधीन अपील प्राधिकरण की अर्हताएं और अपील प्राधिकरण द्वारा इसकी बैठक की गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और
- (ण) कोई अन्य मामला जोकि नियमों द्वारा विहित किया जाना है या किया जा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की, समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

71. बोर्ड और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.- (1) बोर्ड, धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन निर्दिष्ट मामलों के लिए, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(3) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों में निम्नलिखित समस्त मामलों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक में कारबार के संव्यवहार करने की प्रक्रियाएं और उस समय गणपूर्ति;

- (ख) धारा 10 के खण्ड (यड) के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें और उनकी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य;
 - (ग) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन मास्टर विकास योजना के उपांतरित प्रारूप के प्रकाशन की अन्य रीति;
 - (घ) धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन की अन्य रीति;
 - (ङ) धारा 19 की उप-धारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन किसी विकास स्कीम में सम्मिलित किये जाने वाले मामले;
 - (च) धारा 20 की उप-धारा (2) के अधीन विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा के प्रकाशन की रीति;
 - (छ) धारा 22 के अधीन विकास स्कीम में ब्रुटि, अनियमितता या कमी के आधार पर परिवर्तन करने की प्रक्रिया;
 - (ज) धारा 31 की उप-धारा (3) के अधीन रियायत करार का विस्तार करने के लिए निबंधन और शर्तें; *
 - (झ) धारा 37, 38, 39 और 44 के अधीन कोई अनुज्ञा या अनुमोदन प्रदान करने की रीति;
 - (ञ) धारा 64 के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का वार्षिक बजट तैयार करने का प्ररूप और समय।
- (4) ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त मामलों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-
- (क) धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन कोई आर्थिक क्रियाकलाप प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव का प्ररूप और उसकी रीति और उसके लिए संदेय फीस;

(ख) धारा 43 के अधीन भवनों को विनियमित करने के लिए भवन विनियम;

(ग) फीस, जो धारा 57 के अधीन प्रभारित की जा सकेगी।

72. कठिनाइयों के निराकरण की राज्य सरकार की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जब भी ऐसी अपेक्षा हो किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष के अपश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश इसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

73. क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का विघटन.- (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि वह प्रयोजन, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी, सारवान् रूप से पूरा किया जा चुका है, जिसके कारण राज्य सरकार की राय में, ऐसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक है, वहां राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि ऐसा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, विघटित कर दिया जायेगा और ऐसा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तदनुसार विघटित किया गया समझा जायेगा।

(2) उक्त तारीख से,-

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां जो ऐसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित थीं, और बकाया जो उसके द्वारा

वसूलीय हैं, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूलीय होंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समस्त भूमियां राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेंगी;

(ग) समस्त देयताएं, जो ऐसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी; और

(घ) ऐसे किसी कार्य को कार्यान्वित किये जाने के प्रयोजन के लिए, जो पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया है और उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और बकायाओं की वसूली के प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों, जो अपेक्षित हों, के लिए ऐसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

74. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त, नियम बनाने की शक्ति से भिन्न, समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी, या बोर्ड को या किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों और शक्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हैं, प्रत्यायोजन, किसी सरकारी कंपनी को किसी विशेष विनिधान रीजन के भीतर-भीतर ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, कर सकेगी और ऐसी सरकारी कंपनी, विशेष विनिधान रीजन की मास्टर योजना, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की कोई भी शक्ति या कृत्य ऐसी सरकारी कंपनी को प्रत्यायोजित नहीं किये जायेंगे।

(3) बोर्ड, विनियम बनाने के कृत्य और शक्ति के सिवाय, ऐसी शर्तों या परिसीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अपने कृत्यों और शक्तियों में से कोई कृत्य और शक्ति अपने अध्यक्ष को या किसी अन्य सदस्य को या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को, आदेश द्वारा, समनुदेशित और प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऐसी शर्तों या परिसीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अपने कृत्यों और शक्तियों में से कोई कृत्य और शक्ति किसी समिति, या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारिवृन्द को समनुदेशित और प्रत्यायोजित कर सकेगा।

75. राज्य समर्थन.- (1) कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, विशेष विनिधान रीजन में किसी आर्थिक क्रियाकलाप के लिए या किसी अवसंरचना परियोजना के लिए राज्य सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा उसका परीक्षण कराने के पश्चात् बोर्ड के अनुमोदन के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज प्रस्तावित कर सकेगा।

(2) प्रस्ताव के बारे में समाधान होने पर बोर्ड, किसी उपांतरण सहित या उसके बिना, पैकेज की सिफारिश करेगा और अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार को भेजेगा।

(3) ऐसे कस्टमाइज्ड पैकेज में प्रोत्साहन के रूप में किसी भी राजस्थान विधि के अधीन उदगृहीत किये जाने वाले राज्य करों, शुल्कों, उप-करों इत्यादि से छूट का उपबंध किया जा सकेगा।

(4) किसी भी अवसंरचना परियोजना को शाश्वत या वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए कोई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, बोर्ड को उस पर विचार करने और उसका अनुमोदन करने के लिए प्रस्तावित कर

सकेगा और बोर्ड, प्रस्ताव के बारे में समाधान होने पर राज्य सरकार को उसकी मंजूरी की सिफारिश करेगा और राज्य समर्थन उपलब्ध करायेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित किया जा सकेगा,-

(क) कुल इक्विटी के अधिकतम उनचास प्रतिशत के अध्यक्षीन रहते हुए, इक्विटी भागीदारी;

(ख) ऐसी अवसंरचना परियोजना के लिए संगृहीत संपूर्ण प्रभारों या उनके भाग के प्रतिस्थापक के रूप में या उनके अतिरिक्त, रियायतग्राही को वित्तीय सहायता, जिसमें पूंजी अनुदान, न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति, संदाय प्रत्याभूति और उठाव (आफ टेक) और क्रय प्रत्याभूतियां सम्मिलित हैं;

(ग) किसी राजस्थान विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा उदगृहीत राज्य करों, शुल्कों, उप-करों इत्यादि से छूटों के रूप में प्रोत्साहन;

(घ) रियायत करार के अधीन राज्य सरकार की किसी बाध्यता के संबंध में प्रत्याभूतियां; या

(ङ) कोई भी अन्य राज्य समर्थन जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचित किया जाये:

परन्तु खण्ड (क) के अधीन उनचास प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी की अधिकतम सीमा किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी भी सरकारी एजेंसी या किसी भी कंपनी, निकाय या अन्य कोई संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, के अनुसरण में किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार से प्रोन्नत कंपनियों के मामले में लागू नहीं होगी।

76. विशेष विनिधान रीजन में विशेष आर्थिक जोन की इकाईयां और अवसंरचना सुविधा का सुसंगत अधिनियमों के अधीन शासित होना.- (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों

में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत आने वाले किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाइयां और सुख-सुविधाएं विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) और राजस्थान विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम सं. 1) के द्वारा निरंतर शासित होती रहेंगी और वे उनके अधीन फायदे प्राप्त करेंगी।

(2) किसी विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता, विशेष आर्थिक जोन के भीतर-भीतर किसी क्रियाकलाप को अंतिम रूप देते समय अध्याय 5 के अनुसार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी योजनाओं और स्कीमों को ध्यान में रखेगा।

77. अधिनियम का अन्य राजस्थान विधि पर अध्यारोही होना.- इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राजस्थान विधि में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

78. बोर्ड या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को उन्मुक्ति.- बोर्ड या किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या धारा 74 की उप-धारा (2) के अधीन किसी ऐसी सरकारी कंपनी जिसे किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों या उसके निदेश के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति या उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारिवृन्दों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक और सदभावपूर्वक तथा सम्यक् ध्यान और तत्परता से की गयी किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

79. अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्दों का लोक सेवक होना.- किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण या धारा 74 की उप-धारा (2) के अधीन किसी ऐसी सरकारी कंपनी, जिसे किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों, का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और

कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

80. इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील.- समस्त दस्तावेज, जिनमें इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के द्वारा अपेक्षित नोटिस और आदेश सम्मिलित हैं, जो किसी व्यक्ति पर तामील किये जाने हैं, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सम्यक् रूप से तामील किये गये समझे जायेंगे, जहां यह उसके निवास या कारबार के स्थान पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड डाक से भेजा जाता है या परिदत्त किया जाता है या उस व्यक्ति को दिया या परिदत्त किया जाता है जिसको वह संबोधित है या यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो, इसको उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाता है या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को दिया या परिदत्त किया जाता है या ऐसी भूमि या भवन जिससे वह संबंधित है, के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाता है, या जहां इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में उपदर्शित रीति से किसी व्यक्ति पर किसी दस्तावेज की तामील का प्रयास विफल रहता है, वहां उस व्यक्ति पर उस दस्तावेज की तामील प्रभावी मानी जायेगी, यदि तामील किये जाने वाले दस्तावेज का नोटिस किसी भी दैनिक स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है।

81. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- (1) कोई भी सिविल न्यायालय, ऐसे किसी भी मामले का संज्ञान नहीं करेगा जो राज्य सरकार, बोर्ड, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, या अपील प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित किया जाना अपेक्षित हो या किया जा सके।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, या अपील प्राधिकरण के प्रति पारित कोई

आदेश या दिया गया कोई निदेश या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, या अपील प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या जारी किया गया कोई नोटिस अंतिम होगा।

82. राज्य सरकार का नियंत्रण.- (1) बोर्ड, और प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों का प्रयोग और उनके कर्तव्यों का पालन, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष विनिधान रीजन की स्थापना, योजना, विकास, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंध और विनियमन के लिए बनायी गयी नीति और अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार करेंगे।

(2) बोर्ड और प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आवद्ध होंगे जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए समय-समय पर जारी किया जाये।

83. नगर सुधार न्यास, जिसका संपूर्ण क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के रूप में घोषित कर दिया गया है, का विघटन और व्यावृत्तियां.- (1) जहां किसी नगर सुधार न्यास का संपूर्ण क्षेत्र धारा 3 के अधीन विशेष विनिधान रीजन घोषित कर दिया गया है, वहां राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस धारा में आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है और तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों और उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे विशेष विनिधान रीजन के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन, जिसे इसमें आगे 'ऐसा गठन' कहा गया है, की तारीख से,-

(क) ऐसा नगर सुधार न्यास (जिसे इस धारा में 'न्यास' कहा गया है), जो ऐसे विशेष विनिधान रीजन के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में ऐसे गठन से ठीक पूर्व कार्य कर रहा है, विघटित हो जायेगा;

- (ख) ऐसे विशेष विनिधान रीजन में ऐसे गठन से ठीक पूर्व, स्थित और ऐसे क्षेत्र में विकास या सुधार को कार्यान्वित करने के या जिम्मा लेने के प्रयोजन के लिए न्यास में निहित समस्त भूमि, भवन और अन्य स्थावर संपत्तियां (समस्त हितों सहित चाहे जिस प्रकृति या प्रकार के हों) इस प्रकार गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को चली जायेंगी और उसमें निहित हो जायेंगी;
- (ग) ऐसे गठन से ठीक पूर्व ऐसे क्षेत्र में विकास या सुधार को कार्यान्वित करने के या जिम्मा लेने के प्रयोजन के लिए न्यास द्वारा धारित उसके समस्त भंडार, वस्तुएं या अन्य जंगम संपत्तियां इस प्रकार गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को चली जायेंगी और उसमें निहित हो जायेंगी;
- (घ) ऐसे क्षेत्र में या उसके संबंध में ऐसे गठन से ठीक पूर्व न्यास द्वारा किये गये समस्त निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, निरंतर रहेंगे और इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे, जब तक कि वे इस प्रकार गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें;
- (ङ) ऐसे विशेष विनिधान रीजन के क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के विकास या सुधार के लिए और उक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समस्त योजनाएं, स्कीमें, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन

तैयार की गयी समझी जायेंगी और कोई भी ऐसी योजना या स्कीम जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, तब तक निरंतर प्रवृत्त रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उस पर विचार नहीं किया गया है;

(च) न्यास के और ऐसे क्षेत्र के विकास या सुधार से संबंधित योजनाओं और स्कीमों और उनसे संबंधित कागज पत्रों सहित, समस्त अभिलेख और कागज-पत्र, जैसाकि खण्ड (ड) में निर्दिष्ट किया गया है, इस प्रकार गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित और उसे अन्तरित हो जायेंगे;

(छ) ऐसे गठन से ठीक पूर्व न्यास के अधीन सेवारत प्रत्येक अधिकारी या सेवक को, ऐसे गठन पर या ऐसे गठन से, इस प्रकार गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को एक वर्ष की कालावधि के लिए अस्थायी रूप से स्थानान्तरित समझा जायेगा, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक कि वह इसके द्वारा अन्यथा बढ़ायी नहीं जाती, ऐसा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, उनकी स्क्रीनिंग करने के पश्चात्, उन्हें ऐसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की सेवा में ऐसे पदों पर और ऐसे पदनामों से, जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अवधारित करे, आमेलित करेगा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की सेवा में इस प्रकार आमेलित किये गये अधिकारी और सेवक उसी पदावधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जिन पर तब धारित कर रहे होते यदि क्षेत्रीय

विकास प्राधिकरण गठित नहीं हुआ होता, और जब तक कि ऐसी कालावधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें ऐसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दी जायें:

परन्तु ऐसे गठन के पूर्व इस प्रकार आमेलित किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दी गयी कोई सेवा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अधीन दी गयी सेवा समझी जायेगी;

(ज) उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या कोई कार्रवाई, जिसमें कोई नियुक्ति, प्रत्यायोजन, आदेश, स्कीम, नियम, उप-विधियां, विनियम, या बनाये गये प्ररूप या जारी की गयी अधिसूचना या मंजूर की गयी अनुज्ञा सम्मिलित हैं, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त रहेंगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेंगी जब तक कि उक्त उपबंधों के अधीन की गयी किसी बात या कार्रवाई द्वारा उनको अतिष्ठित न कर दिया जाये;

(झ) ऐसे विशेष विनिधान रीजन के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में या उसके संबंध में, ऐसे गठन से ठीक पूर्व, ऐसे क्षेत्र के लिए न्यास के द्वारा, के साथ या के लिए उपगत समस्त ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गयी समस्त संविदाएं, किये गये भूमि के समस्त आबंटन और अन्तरण और किये जाने वाले समस्त मामले और बातें क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के द्वारा, के साथ या के लिए उपगत की गयी, की गयी, बनायी गयी या की गयी समझी जायेंगी;

(ज) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे गठन के पूर्व न्यास के द्वारा या उसके निमित्त, लागू होने की किसी घोषणा की विधिमान्यता, प्रकाशन, अधिसूचना, नियुक्ति, आदेश, भूमि का आबंटन, प्रस्ताव, अधिनिर्णय, कार्यवाही, परामर्श, जांच, प्रमाणन, समझौता, मंजूरी, करार, नोटिस, अनुमोदन, विनिश्चय, विवाद, किसी विधिक कार्यवाही का प्रत्याहरण, बनायी गयी अंतिम स्कीम या किया गया कार्य, धारित, जारी, की गयी, दी गयी, ली गयी, विनिश्चित, तय की गयी, या की गयी बातें ऐसी समझी जायेंगी मानो वे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के द्वारा या उसके निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी, धारित की गयी, जारी की गयी, की गयी, दी गयी, ली गयी, विनिश्चित की गयी, तय की गयी या की गयी हों;

(ट) ऐसे गठन के पूर्व न्यास के द्वारा या के निमित्त किसी भी विधिक कार्यवाही में या से, किये गये समस्त समझौते, प्रतिरक्षाएं या प्रत्याहरण, शमन किया गया कोई अपराध या स्वीकार किया गया कोई दावा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा या इसके निमित्त किये गये समझे जायेंगे और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार प्रभावी रूप में प्रवर्तित किये जा सकेंगे मानोकि वे ऐसे गठन के पूर्व न्यास द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तित किये जा सकते थे;

(ठ) न्यास द्वारा, उसके लिए, या उसके विरुद्ध समस्त वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां क्षेत्रीय

विकास प्राधिकरण द्वारा, उसके लिए या उसके विरुद्ध निरंतर रखी या संस्थित की जा सकेंगी;

(ड) न्यास में निहित जंगम और स्थावर समस्त संपत्तियां और किसी संपत्ति में के समस्त अधिकार, हक और हित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में निहित होंगे और न्यास के कब्जे में की ऐसी समस्त संपत्तियां क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कब्जे में समझी जायेंगी;

(ढ) न्यास को देय समस्त किराया, फीस और अन्य धनराशियां क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी; और

(ण) समस्त राशियां या प्रभार जिनका न्यास, ऐसे गठन से ठीक पूर्व, ऐसे विशेष विनिधान रीजन के क्षेत्र में की किसी भूमि के विकास या सुधार के लिए या उसके संबंध में उद्ग्रहण, निर्धारण और वसूल करने का हकदार था, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा निरंतर उद्गृहीत, निर्धारित और वसूल किये जाते रहेंगे।

(2) जहां न्यास के प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अर्जन कार्यवाहियां प्रारंभ की जा चुकी हैं तो वे यथापूर्वोक्त ऐसी विधियों के उपबंधों के अधीन और अनुसार जारी रहेंगी और पूर्ण की जायेंगी।

84. निरसन.- राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम सं. 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुसूची

[धारा 2(छ) और 31 देखिए]

रियायत करार की प्रकृति

1. निर्माण स्वामित्व प्रचालन और अन्तरण करार: ऐसा करार जिसके द्वारा विकासकर्ता किसी परियोजना के वित्तपोषण, संनिर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन का जिम्मा लेता है और जिसके द्वारा ऐसी परियोजना किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उस विकासकर्ता में निहित होती है। विकासकर्ता द्वारा परियोजना के प्रचालन की कालावधि के दौरान करार में यथा विनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार प्रभारित करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जा सकेगा। विकासकर्ता से अपेक्षित है कि वह परियोजना को प्रचालन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी को अन्तरित करे।
2. निर्माण स्वामित्व प्रचालन और अनुरक्षण करार: ऐसा करार जिसके द्वारा विकासकर्ता किसी परियोजना के वित्तपोषण, संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण का जिम्मा लेता है और जिसके द्वारा ऐसी परियोजना विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उस विकासकर्ता में निहित होती है। परियोजना के प्रचालन की कालावधि के दौरान करार में यथा विनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार प्रभारित करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जा सकेगा।
3. निर्माण अन्तरण करार: ऐसा करार जिसके द्वारा विकासकर्ता किसी परियोजना के वित्तपोषण और संनिर्माण का जिम्मा लेता है। परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् विकासकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह परियोजना को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी को अन्तरित करे। विकासकर्ता को ऐसी रकम संदत्त की जायेगी जो करार में विनिर्दिष्ट क्रमिक अपाकरण अनुसूची में नियत है।

4. निर्माण पट्टा और अन्तरण करार: ऐसा करार जिसके द्वारा विकासकर्ता परियोजना के वित्तपोषण और संनिर्माण का जिम्मा लेता है। परियोजना पूर्ण होने पर, विकासकर्ता इसको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी को किसी पट्टा करार के अधीन, करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए प्रचालन के लिए सौंप देता है, जिसकी समाप्ति के पश्चात् परियोजना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी को अन्तरित हो जायेगी।
5. निर्माण अन्तरण और प्रचालन करार: ऐसा करार जिसके द्वारा विकासकर्ता परियोजना के वित्तपोषण और संनिर्माण का जिम्मा लेता है। परियोजना पूर्ण होने पर विकासकर्ता, परियोजना को, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी को अन्तरित कर देता है जो उसके निमित्त विकासकर्ता को, करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए परियोजना प्रचालित करने के लिए अनुज्ञात करती है।
6. पट्टा प्रबंध करार: ऐसा करार जिसके द्वारा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या कोई सरकारी एजेंसी ऐसी किसी परियोजना को, जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी के स्वामित्व में है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उस परियोजना का प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए और उसके लिए उपयोक्ता प्रभार प्रभारित करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, पट्टे पर देती है।
7. प्रबंध करार: ऐसा करार जिसके द्वारा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या कोई सरकारी एजेंसी करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी परियोजना के प्रचालन और प्रबंध को किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट प्रतिफल के संदाय पर न्यस्त करती है। ऐसे करार में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, सरकारी

एजेंसी या तो स्वयं उपयोक्ता प्रभार प्रभारित और संगृहीत कर सकेगी या संग्रहण हेतु किसी व्यक्ति को प्रतिफल के बदले न्यस्त करती है जो उपयोक्ता प्रभार संगृहीत करने के पश्चात् उसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, उस सरकारी एजेंसी को सौंप करेगा।

8. पुनर्वास प्रचालन और अन्तरण करार: कोई करार जिसके द्वारा कोई विद्यमान परियोजना नवीकरण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी व्यक्ति में निहित की जाती है, जिसकी समाप्ति पर परियोजना को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी को अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। विकासकर्ता द्वारा परियोजना के प्रचालन की कालावधि के दौरान उसे करार में यथा विनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार प्रभारित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।
9. पुनर्वास स्वामित्व और अनुरक्षण करार: ऐसा करार जिसके द्वारा कोई विद्यमान परियोजना नवीकरण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए किसी व्यक्ति में निहित की जाती है। विकासकर्ता को करार में यथा विनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार प्रभारित करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
10. सेवा संविदा करार: ऐसा करार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए सेवा उपलब्ध कराने का जिम्मा लेता है। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, कोई सरकारी एजेंसी उसे करार पाई गई अनुसूची के अनुसार रकम का सौदा करेगी।
11. आपूर्ति, प्रचालन और अन्तरण करार: ऐसा करार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या किसी सरकारी एजेंसी को किसी परियोजना के लिए उपस्कर और मशीनरी की आपूर्ति करता है और करार में विनिर्दिष्ट कालावधि और प्रतिफल के लिए प्रचालन करने का जिम्मा लेता है। परियोजना के प्रचालन के दौरान, वह परियोजना के प्रचालन के लिए क्षेत्रीय विकास

प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, उस सरकारी एजेंसी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा लेगा।

12. संयुक्त उद्यम करार: ऐसा करार जिसके द्वारा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या कोई सरकारी एजेंसी किसी विकासकर्ता के साथ किसी परियोजना का करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए संयुक्त रूप से वित्तपोषण, संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए, कोई करार करती है, जिसकी समाप्ति के पश्चात् परियोजना को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी सरकारी एजेंसी को अन्तरित किया जाना अपेक्षित है।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 26, 2016

No. F. 2 (16) Vidhi/2/2016.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vishesh Vinidhan Region Adhiniyam, 2016 (2016 Ka Adhiniyam Shankhyank 13) :-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN SPECIAL INVESTMENT REGIONS
ACT, 2016**

(Act No. 13 of 2016)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of April, 2016]

An

Act

to provide for establishment, planning, development, operation, maintenance, management and regulation of Special Investment

Regions in the State and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Investment Regions Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to coming into force of that provision.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "abadi" or "abadi area" means abadi or abadi area or abadi land as defined under section 103 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);

(b) "appellate authority" means the appellate authority established and constituted under section 67;

(c) "Board" means the Rajasthan Special Investment Regions Board established under section 7;

(d) "buffer for abadi development" means the area adjoining a municipal area or abadi area of a village specified in a Master Development Plan for the development of abadi of the village or municipality, as the case may be;

(e) "building" means any structure or erection, or any part of a structure or erection which is intended to be used for residential, industrial, commercial or other purposes whether in actual use or not;

- (f) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Regional Development Authority;
- (g) "concession agreement" means a contract of the nature specified in the Schedule between a concessionaire and the Regional Development Authority, State Government, or a Government agency relating to a project;
- (h) "concessionaire" means a private sector participant with whom a concession agreement is entered into by a Regional Development Authority;
- (i) "development", with its grammatical variations, means the carrying out of building, engineering, mining or other operations in, or over, or under any land (including land under river, lake or any other water) or the making of any material change in any building or land or in the use of any building or land, and includes re-development and lay-out, and sub-division of any land and also the provision of public and civic facilities and projects and schemes for development of agriculture, horticulture, floriculture, forestry, dairy development, poultry farming, piggery, cattle breeding, fisheries and other similar activities, and 'to develop' shall be construed accordingly;
- (j) "development authority" means Ajmer Development Authority constituted under the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or any other similar Development Authority constituted by any Rajasthan law but excluding a Regional Development Authority constituted under this Act;

- (k) "development scheme" means a scheme for the purpose of implementation of Master Development Plan or Zonal Development Plan or to provide for development of any area;
- (l) "economic activity" means the activity and service relating to industrial, manufacturing, commercial, financial, processing, packaging, logistics, transport, tourism, hospitality, health, housing, entertainment, research, development, education, training, skill development, information and communication, management, consultancy and such other activity and service as may be prescribed;
- (m) "government agency" means a Government Company or a body constituted under any Rajasthan Law or any other institution by whatever name called, owned or controlled by the State Government;
- (n) "Government Company" means a Government company as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);
- (o) "industrial area" means an area of land developed by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited or by any other government agency or person for setting up of industries and other supportive services including but not limited to commercial units, residential units, schools, institutions, hospitals, police stations, post offices, fire stations and banks and is approved as such by the State Government;
- (p) "infrastructure facility" means road, bridge, bypass, underpass, water supply, drainage, collection-treatment-discharge and disposal of industrial, institutional and township waste, transport, electricity, post, telecommunication, disaster management, gas pipeline, and such other

facility and includes any kind of public and civic facility;

- (q) "infrastructure project" means any project for creation, rehabilitation, improvement, expansion, alteration or replacement of any infrastructure facility including financing, construction, operation, maintenance or management thereof, whether within a Special Investment Region, connecting a Special Investment Region or required for a Special Investment Region and includes any project which is linked to or from an infrastructure project;
- (r) "land pooling" means an arrangement wherein a tenant or owner of any land or part thereof agrees to surrender his rights in the land or any part thereof in favour of the Regional Development Authority for any development scheme in lieu of such developed land or such cash compensation or such proportion of developed land and cash compensation as may be agreed between such tenant or the owner, as the case may be, and the Regional Development Authority;
- (s) "local authority" means a Panchayati Raj Institution, a municipality, Rajasthan Housing Board, an Urban Improvement Trust, or a Development Authority constituted by or under any Rajasthan Law;
- (t) "Master Development Plan" means the Master Development Plan prepared and approved in accordance with the provisions of Chapter V;
- (u) "municipal services" means arrangement for public health, sanitation, solid waste management, drainage and sewerage, cleaning public streets or places, sewers and drains, lighting public streets or places, extinguishing fires, regulating offensive or dangerous trades or practices, removing obstructions and projections in public streets or places, securing or removing dangerous buildings, regulating disposal of carcasses of dead animals,

naming streets and numbering houses, regulating the movement of dogs, cattle and other animals, and includes arrangement for such other services as are provided by a municipality in a municipal area;

- (v) "municipality" means a Municipality as defined in clause (xlii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);
- (w) "Panchayati Raj Institution" means a Panchayati Raj Institution as defined under clause (xvii) of section 2 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994);
- (x) "periphery" means the adjoining area of a Special Investment Region declared as such under section 4;
- (y) "private sector participant" means any person other than,-
 - (i) the State Government or a government agency, or
 - (ii) the Central Government or any public sector undertaking of the Central Government, or
 - (iii) any joint venture between the Central Government and the State Government or a government agency;
- (z) "public and civic facility" means open space, garden, zoological garden, natural reserve, sanctuary, play ground, stadium, recreation ground, public assembly ground, theatre, place for public gathering or entertainment, museum, art gallery, public lavatory, green belt, housing, school, college and other educational institution, hospital and other health and medical facility, social welfare and cultural facility, parking facilities and all other kind of facility for public and civic purpose as may be prescribed;
- (za) "public private partnership" means a participation contract between a Regional Development Authority and any private sector participant in connection with a development scheme;

- (zb) "Rajasthan Housing Board" means Rajasthan Housing Board constituted under the Rajasthan Housing Board Act, 1970 (Act No. 4 of 1970);
- (zc) "Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited" means the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956);
- (zd) "Regional Development Authority" means a Regional Development Authority constituted under section 9;
- (ze) "regulations" means the regulations made by the Board and the Regional Development Authority under this Act;
- (zf) "rules" means the rules made by the State Government under this Act;
- (zg) "Schedule" means the Schedule to this Act;
- (zh) "Secretary in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a Department and includes an Additional Chief Secretary and Principal Secretary when he is in-charge of the Department;
- (zi) "Special Investment Region" means an area declared as such under section 3;
- (zj) "Urban Improvement Trust" means a Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959); and
- (zk) "user charges" means the charges imposed under section 56.

CHAPTER II

Special Investment Region

3. Declaration of Special Investment Region.- (1)

The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare any area of land, including an industrial area, to be a Special Investment Region and specify the geographical area thereof.

(2) An area declared as a Special Investment Region may be known by the name of its location and/or its predominant economic activity.

(3) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid before the State Legislature as soon as may be after it is issued.

4. Declaration of periphery.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare such of the outer area on any side adjoining a Special Investment Region, to be the periphery of the Special Investment Region as it deems fit.

(2) On declaration of an area under sub-section (1) as periphery of a Special Investment Region,-

(a) the Regional Development Authority of the Special Investment Region shall be the Regional Development Authority for the periphery of the Special Investment Region; and

(b) the powers and functions of the Regional Development Authority and the Board shall extend to the periphery of the Special Investment Region.

(3) In order to regulate the developments in the periphery area, the Regional Development Authority may prepare separate Master Development Plan and Development Scheme for the periphery area in accordance with the provisions of this Act.

5. Special Investment Region to be an industrial township.- The area comprising a Special Investment Region and the periphery thereof, except the abadi area, including the land set apart for development of abadi, of a village and the municipal area, shall be deemed to be an industrial township within the meaning of the provisions of clause (1) of Article 243Q of the Constitution of India from the date it is so notified in the Official Gazette by the State Government.

6. Special Investment Region to be out of jurisdiction of local authority.- (1) A Special Investment Region declared under this Act, except the abadi area, including the land set apart for development of abadi, of a village and the municipal area, shall cease to be under the jurisdiction of a local authority to the extent it relates to the provisions made in this Act.

(2) While preparing the Master Development Plan for the Special Investment Region, the Regional Development Authority shall take into account the development plan, if any, prepared by the respective local authorities.

CHAPTER III

The Rajasthan Special Investment Regions Board

7. Establishment of Board.- (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Board to be called the Rajasthan Special Investment Regions Board with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) The headquarters of the Board shall be at Jaipur or at such other place as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

(3) The Board shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson, Member-Secretary and such number of other official and non-official members not exceeding twelve, who shall be appointed by the State Government.

(4) The Chairperson, Vice-Chairperson, and every other member of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

(5) If any vacancy arises in the Board by reason of death, resignation or otherwise, the same shall be filled up by the State Government as soon as possible.

(6) The Board shall meet at such time and place and shall observe such rules of procedure in regard to transaction of its business at its meeting (including the quorum at such meeting) as may be provided by regulations made by the Board.

(7) The Board may associate with itself any person whose assistance or advice is required in performing any of its functions under this Act.

(8) The Board may obtain from the State Government, a Government agency, a Regional Development Authority or a developer any information which is required for performing its functions under this Act.

(9) The State Government shall provide such officers and servants to the Board as it may consider necessary for the efficient discharge of functions of the Board.

(10) The remuneration, allowance and other conditions of service of the non-official members of the Board shall be such as may be prescribed by the rules.

(11) No act or proceeding of the Board shall be invalid merely by reason of any vacancy therein or any defect in the constitution thereof, or any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

8. Powers and functions of the Board.- The Board shall have the following powers and functions, namely:-

- (a) to promote and establish Special Investment Regions and the periphery;
- (b) to monitor the development of Special Investment Regions and issue necessary instructions to the agencies involved;
- (c) to identify difficulties in development of Special Investment Regions in the State and to make recommendations on any matter or proposal requiring action by the State Government, Central Government, any government agency, or the National Capital Region Planning Board including coordination with them for achieving the purposes of this Act or in furtherance of the objects thereof, including making of or amendments to any policy or law;
- (d) to consider appropriate State support or customized package for any project or economic activity in the Special Investment Region and recommend it to the State Government for its approval under the provisions of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011); and

- (e) to exercise such powers and perform such functions as may be necessary for carrying out the provisions of this Act.

CHAPTER IV

Regional Development Authority

9. Constitution of Regional Development Authority.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Regional Development Authority for a Special Investment Region, which shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of movable and immovable property and to contract, and by its name, to sue and be sued:

Provided that the State Government may constitute a single Regional Development Authority for more than one Special Investment Regions:

Provided further that a Regional Development Authority may be known by the name of its location and/or its predominant economic activity.

(2) The Regional Development Authority shall consist of the following:-

- (i) Minister in-charge of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Department of the State Government - Chairperson;
- (ii) all members of the Lok Sabha and Rajasthan Vidhan Sabha representing the areas included in a Special Investment Region - Members;
- (iii) such number of other official or non-official persons not exceeding thirteen to be nominated by the State Government -Members;
- (iv) Chief Executive Officer to be appointed by the State Government -Member- Secretary.

(3) The headquarters of a Regional Development Authority shall be at such place as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

(4) The remuneration, allowances and other conditions of service of the non-official members specified in clause (iii) of sub-section (2) shall be such as may be prescribed by rules by the State Government.

(5) The Regional Development Authority shall meet at such time and place and shall observe such rules of procedure in regard to transaction of its business at its meeting (including the quorum at such meeting) as may be provided by regulations made by the Regional Development Authority.

(6) No act or proceeding of the Regional Development Authority shall be invalid merely by reason of any vacancy therein or any defect in the constitution thereof, or any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (5), the State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Regional Development Authority for a Special Investment Region by designating an existing Regional Development Authority or any other government agency or Government Company as the Regional Development Authority for that Special Investment Region.

10. Powers and functions of Regional Development Authority.- The Regional Development Authority shall, subject to the provisions of this Act and under the control, supervision and guidance of the State Government and the Board, discharge the following functions and exercise following powers, namely:-

- (a) to acquire, procure and hold land within the Special Investment Region by purchase, lease, exchange, agreement or otherwise;
- (b) to give directions to any government agency or persons functioning in the Special Investment Region or the periphery thereof in matters pertaining to plans and schemes prepared under Chapter V;

- (c) to promote private sector participation in development and implementation of Development Schemes;
- (d) to raise finance from market including financial and multilateral institutions;
- (e) to allot land under section 36;
- (f) to modify or cancel permission to develop subject to the provisions of sections 40 and 41;
- (g) to regulate the development activities in the Special Investment Region in accordance with the plans and schemes prepared under Chapter V and the building regulations made by the Regional Development Authority in this behalf;
- (h) to enter upon any land or building to carry out surveys, make enquiry, inspection, examination or measurement subject to the provisions of section 49;
- (i) to make arrangements for observance and promotion of safety, order, health and environmental safeguards, disaster management for the Special Investment Region;
- (j) to engage consultants or persons having special knowledge or skill to assist it in performance of its functions;
- (k) to negotiate and enter into any contract including by way of public private partnership;
- (l) to administer its funds;
- (m) to constitute committees for proper regulation of traffic, environment, building, land uses and any other purposes to achieve the objects of this Act;

- (n) to subscribe for shares in a company with the prior approval of the State Government and enter into joint venture agreement with any person or body upon such terms and conditions as may be approved by the State Government;
- (o) to enter into concession agreements with the approval of the State Government;
- (p) to accept grants and donations;
- (q) to carry out surveys and prepare and execute plans and schemes prepared in accordance with Chapter V for development of the Special Investment Region;
- (r) to classify, earmark, demarcate and develop the Special Investment Region and the periphery for purposes and usages, *inter alia*, for any economic activity, infrastructure facility including housing and industrial areas and public and civic facility and to encourage and promote aesthetics, efficiency and generate revenues in the process of development;
- (s) to ensure provision of sufficient infrastructure facility and public and civic facility and to make sustainable arrangements for adequate maintenance thereof;
- (t) to conduct, prepare and assess the techno-commercial, economic and environmental feasibility studies relating to infrastructure projects;
- (u) to regulate, grant, suspend, withdraw or cancel approvals and permissions for economic activity in accordance with the provisions of this Act;

- (v) to remove encroachments and constructions not duly authorized or which are made in violation of this Act or rules or regulations made thereunder;
- (w) to update the Board on planning, development, operation, maintenance, management and regulation of the Special Investment Region and its projects and implement the directions, policies, guidelines and parameters issued by the State Government and the Board on matters relating thereto;
- (x) to make the regulations on matters specified in section 71;
- (y) to globally market the Special Investment Region and its projects;
- (z) to provide public and civic facilities within the Special Investment Region;
- (za) to provide municipal services within the Special Investment Region;
- (zb) to plan, develop, operate, maintain, manage and regulate the periphery in accordance with the provisions of this Act;
- (zc) to procure land for the Special Investment Region in accordance with Chapter VI;
- (zd) to provide urban transport facility for the Special Investment Region;
- (ze) to appoint such officers and servants subordinate to the Regional Development Authority as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions, on such conditions of appointment and service and with such powers, functions and duties as it may determine by regulations; and
- (zf) to exercise such other powers and discharge such other functions as may be necessary or expedient

to carry out provisions of this Act and such other functions as may be assigned to it by the State Government or the Board.

CHAPTER V

Planning for the Special Investment Regions

Master Development Plan

11. Preparation of Master Development Plan.- As soon as may be after the constitution of a Regional Development Authority for a Special Investment Region, the Regional Development Authority shall, subject to general or specific directions of the State Government or the Board, carry out a civic survey and prepare an existing land use map and prepare a draft Master Development Plan for the area declared as the Special Investment Region and the periphery, if any, in accordance with the provisions of this Act.

12. Applicability of existing Master Development Plans.-

(1) If, before the coming into force of this Act, the State Government has notified a Master Development Plan for any area of the Special Investment Region, such Master Development Plan shall be the Master Development Plan for that area of the Special Investment Region.

(2) If any area of any local authority or a development authority is included in the Special Investment Region, the Master Development Plan prepared by that local authority or the development authority shall, with such alterations and modifications as the Regional Development Authority may consider appropriate, be the Master Development Plan for that area of the Special Investment Region:

Provided that buffer for abadi development as provided in a Master Development Plan of a local authority or development authority shall not be altered or modified by the Regional Development Authority while adopting such Master Development Plan under this sub-section.

13. Contents of a Master Development Plan.- (1) A Master Development Plan shall generally indicate the manner in which the use of land in the area of the Special Investment Region shall be regulated, and also indicate the manner in which the

development of land therein shall be carried out. In particular, it shall provide for the following matters, namely:-

- (a) areas reserved for the purpose of economic activity, infrastructure facility, public and civic facility, zones into which the Special Investment Region shall be divided and for any other purposes;
- (b) demarcation and reservation of land for polluting and non-polluting industrial activities, manufacturing activities, other kind of economic activities, infrastructure facility, public and civic facility, infrastructure projects and for any other purposes;
- (c) comprehensive land allocation for future development of the Special Investment Region;
- (d) complete road and street pattern and traffic circulation pattern for present and future requirements and major roads and street improvement;
- (e) arrangement for providing infrastructure facility, public and civic facility and infrastructure projects including those required from distant sources;
- (f) buffer for abadi development;
- (g) all such matters as may be directed by the State Government;
- (h) all such matters as may be provided for in the guidelines or parameters framed by the Board; and
- (i) all such matters as may be prescribed by the rules.

(2) The draft Master Development Plan shall include such maps and such descriptive matters as may be necessary to explain and illustrate the proposals.

14. Public notice of draft Master Development Plan.-
The Regional Development Authority shall on preparation of the draft Master Development Plan for the area declared as the Special

Investment Region and the periphery, if any, issue and publish a notice in the Official Gazette in such other manner as may be prescribed by rules, stating that the draft Master Development Plan has been prepared, specifying the name of the place where a copy thereof shall be available for inspection by the public and that copies thereof or extracts therefrom, certified to be correct shall be available for sale to the public at a reasonable price, and inviting objections and suggestions within a period of sixty days from the date of notice in the Official Gazette.

15. Objections to draft Master Development Plan.- (1) Subject to the provisions of this Act, if, within the time allowed under section 14, any person communicates in writing to the Regional Development Authority any suggestions or objections relating to the draft Master Development Plan, the Regional Development Authority may, after considering the suggestions or objections received by it, modify or change the Master Development Plan in such manner as it thinks fit.

(2) The draft Master Development Plan so modified shall be published in the Official Gazette and in such other manner as may be prescribed by regulations, not less than one month prior to the submission of the same to the State Government for sanction.

16. Sanction of draft Master Development Plan.- (1) The Regional Development Authority shall submit the draft Master Development Plan to the State Government for sanction on the expiry of the period of one month from the date of publication of it in the Official Gazette under sub-section (2) of section 15.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, sanction the draft Master Development Plan submitted to it, either without modification, or subject to such modifications as it may consider proper, or return the draft Master Development Plan to the Regional Development Authority for modifying the Master Development Plan as it may direct, or refuse to accord sanction and direct the Regional Development Authority to prepare a fresh Master Development Plan:

Provided that, where the modifications proposed to be made by the State Government are of substantial nature, the State Government shall publish a notice in the Official Gazette and also in local newspapers inviting objections and suggestions from any

person in respect of the proposed modifications within a period of sixty days from the date of such notice.

(3) The State Government shall, before according sanction to the draft Master Development Plan, take into consideration such objections and suggestions.

(4) The State Government shall fix in the notification under sub-section (2) a date not earlier than one month from its publication on which the final Master Development Plan shall come into operation.

(5) A Master Development Plan which has come into operation shall be called the "final Master Development Plan" and shall, subject to the provisions of this Act, be binding on the Region Development Authority.

17. Modification of final Master Development Plan.- (1) Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to modify any part of or any proposal made in the final Master Development Plan to give effect to the objects of this Act, it may direct the Regional Development Authority to carry out the modifications.

(2) The Regional Development Authority shall, within ninety days from the date of direction given under sub-section (1), publish a notice in the Official Gazette and in such other manner as may be prescribed by regulations inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed modification not later than one month from the date of such notice; and shall also serve notice on all persons affected by the proposed modification and after giving a hearing to any such persons, submit the proposed modification with amendments, if any, to the State Government for sanction.

(3) The State Government shall, after giving hearing to the affected persons and the Regional Development Authority and after making such inquiry as it may consider necessary, publish, by notification in the Official Gazette, the approved modification with or without changes, and subject to the conditions as it may deem fit. On the publication of the modification in the Official Gazette, the final Master Development Plan shall be deemed to have been modified accordingly.

18. Revision of Master Development Plan.- At least once in ten years from the date on which a Master Development Plan has come into operation, the Regional Development Authority may, and at any time when so directed by the State Government, shall revise the Master Development Plan either wholly, or in parts separately after carrying out, if necessary, a fresh survey and preparing an existing land use map of the area within its jurisdiction, and the provisions of sections 11 to 16 shall, so far as they can be made applicable, apply in respect of such revision of the Master Development Plan.

Development Schemes and Zonal Development Plans

19. Preparation and contents of Development Scheme.-

(1) A Regional Development Authority may, for the purpose of implementation of the provisions of the Master Development Plan, or the Zonal Development Plan, prepare one or more Development Schemes.

(2) The Development Scheme may make provisions for any or all of the following matters, namely:-

- (a) the manner in which the Regional Development Authority proposes use of land in the Special Investment Region or the periphery, whether by carrying out development thereon or otherwise and the stages by which any such development is to be carried out;
- (b) the proposals for conservation and development of natural resources including water bodies;
- (c) the laying out or relaying out of plots, either vacant or already built upon, or merger or reconstitution or sub-division of plots;
- (d) the construction, alteration and removal of buildings, bridges and other structures;
- (e) the reservation and allocation of land for infrastructure facility and public and civic facility;

- (f) the allocation of land for economic activity, infrastructure facility, public and civic facility and infrastructure projects;
- (g) layout of new streets or roads, construction, diversion, extension, alteration, improvement and closing up of streets, roads and communication, lighting, electricity, gas, waterways, canals, water supply, long term arrangement for providing water supply to the areas whether from near or distant sources, drainage including sewerage, surface or sub-soil drainage and sewerage disposal, solid waste and refuse and manufacture of its by-products, and other infrastructure facility based on present and future requirements;
- (h) the preservation and protection of objects of historical importance or national interest or natural beauty and of buildings actually used for religious purposes;
- (i) the suspension, so far as may be necessary for proper carrying out of the Development Scheme, of any rules, bye-laws, regulations, notifications or orders made or issued under any Rajasthan Law;
- (j) acquisition by purchase, exchange or otherwise of any property necessary for or affected by the execution of the Development Scheme; and
- (k) such other matters as are likely to have an important influence on the development of the area or matters not inconsistent with the objects of this Act, as may be laid down by the regulations to be prepared by the Regional Development Authority.

20. Power of Regional Development Authority to declare its intention to make Development Scheme.- (1) Subject to the guidelines and parameters framed by the State Government or Board, if any prevailing in this regard, a Regional Development

Authority may by resolution declare its intention to make Development Scheme in respect of the Special Investment Region, the periphery, or any part thereof:

Provided that no declaration under this sub-section shall be made by a Regional Development Authority in respect of areas provided in a Master Development Plan as buffer for abadi development, except with prior consent of the concerned gram panchayat or municipality, as the case may be.

(2) Not later than thirty days from the date of declaration of intention to make a Development Scheme, the Regional Development Authority shall publish the declaration in the Official Gazette and in such other manner as may be provided by the regulations.

(3) A copy of the declaration referred to in sub-section (2) shall be open to the inspection of the public at all reasonable hours at the head office of the Regional Development Authority.

21. Making and publication of draft Development Scheme and its operation by means of notice.- (1) Not later than twelve months from the date of declaration, the Regional Development Authority shall make a draft Development Scheme for the area in respect of which the declaration was made.

(2) The Regional Development Authority shall publish a notice in the Official Gazette and in such other manner as may be provided by the rules stating that the draft Development Scheme in respect of such area has been made and notice shall state the name of the place where a copy thereof shall be available for inspection by public and shall also state that copies thereof or any extract therefrom, certified to be correct, shall be available for sale to the public at a reasonable price.

(3) After thirty days from the date of publication of the notice under sub-section (2) regarding preparation of the draft Development Scheme, if any person affected thereby communicates in writing any objection relating to such draft Development Scheme, the Regional Development Authority shall consider such objection and may make necessary modifications to the draft Development Scheme, as it may deem fit. The Regional Development Authority shall publish final Development Scheme in the Official Gazette, and in such other manner as may be

provided by the rules, and specify the date on which it shall come into operation.

22. Power to vary Development Scheme on ground of error, irregularity or infirmity.- If after the final Development Scheme has come into operation, the Regional Development Authority considers that the Development Scheme is defective on account of an error, irregularity or infirmity, the Regional Development Authority may amend or vary the Development Scheme to remove such error, irregularity or infirmity:

Provided that before making any amendments under this section the Regional Development Authority shall issue a notice in the Official Gazette to that effect and follow the procedure as may be laid down by the regulations.

23. Power to vary Development Scheme.- Notwithstanding anything contained in this Act, a Development Scheme may, at any time be amended by an amended Development Scheme, published in the Official Gazette, and sanctioned in accordance with this Act:

Provided that when a Development Scheme is so amended, the provisions of sections 19 to 21 shall, so far as may be applicable, apply to such amendment and making of subsequent Development Scheme and the date of the declaration of intention of the Regional Development Authority to amend the Development Scheme shall be deemed to be the date of declaration of intention to make a Development Scheme referred to in section 20.

24. Power of Regional Development Authority to make agreement.- A Regional Development Authority shall be competent to make any agreement with any person in respect of any matter which is to be provided for in a Master Development Plan or a Development Scheme and unless it is otherwise expressly provided therein, such agreement shall take effect on or after the day on which the Master Development Plan or the Development Scheme, as the case may be, comes into force.

25. Power to give directions to government agency.- (1) A Regional Development Authority may give directions to any government agency or person, with regard to implementation of any plan or scheme prepared under this Chapter, as it thinks fit and such government agency or person shall be bound to comply with such directions.

(2) Where any direction is given to any government agency or person under sub-section (1), such government agency or person may, within fifteen days from the date of receipt of such direction, appeal to the State Government against such direction, and the decision of the State Government thereon shall be final.

(3) A Regional Development Authority shall exercise such powers as may be necessary to ensure that every plan and scheme sanctioned under this Chapter is executed in the interest of achieving the purposes of this Act.

26. Preparation of Zonal Development Plans.- Subject to the provisions of this Act, a Regional Development Authority, for the purpose of implementation of the Master Development Plan or otherwise, may, subject to general or specific directions of the State Government or the Board, prepare Zonal Development Plan for any zone of the Special Investment Region or the periphery. The Zonal Development Plan may generally provide for those matters as may be prescribed by the rules. Sections 19 to 21, shall, to the extent possible, apply to the preparation, publication and approval of Zonal Development Plan as they apply to Development Scheme.

CHAPTER VI

Land Procurement

27. Vesting of land in the Regional Development Authority, and its disposal.- (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the land, as defined in section 103 of that Act, situated in a Special Investment Region, (excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102A of that Act and the abadi area and the land set apart for development of abadi of a village and the municipal area and the land vested in any local authority by virtue of an Act of the State Legislature prior to the commencement of this Act) shall, immediately on constitution of the Regional Development Authority under section 9, be deemed to have vested in and placed at the disposal of the Regional Development Authority on behalf of the State Government and the Regional Development Authority may use the same for the purposes of this Act and may dispose of the same subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from

time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe by rules,-

- (a) without undertaking or carrying out any development thereon; or
- (b) after undertaking or carrying out such development as it thinks fit,

to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it may consider proper.

(2) If the State Government is satisfied that any land vested in any local authority is required at any time by the Regional Development Authority for carrying out its functions, it may, notwithstanding anything contained in any Rajasthan Law, by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Regional Development Authority on such terms and conditions as it may deem fit:

Provided that, before taking any action under this subsection, the State Government shall give an opportunity of hearing to the local authority concerned.

(3) If any land vested in the Regional Development Authority is required at any time by any local authority for carrying out its functions or by the State Government for any other purpose, the State Government may, by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of such local authority or any Department of the State Government on such terms and conditions as it may deem fit:

Provided that, before taking any action under this subsection, the State Government shall give an opportunity of hearing to the Regional Development Authority concerned.

(4) The State Government may, for the purposes of this Act, acquire land in accordance with the provisions of the law relating to land acquisition, in force, at the time of acquisition.

(5) The State Government may transfer land owned, acquired or controlled by it to the Regional Development Authority for the purposes of this Act as per laws relating to land revenue.

(6) Where any land or any other property of the government agencies are transferred and vested in the Regional

Development Authority under this Act, and compensation, if any, for such land and other property is to be paid to such government agencies, the compensation shall be such as may be decided by the State Government.

28. Procurement of land from private parties.- A Regional Development Authority may, on such terms and conditions as it may decide, procure by purchase, lease, exchange, agreement or otherwise, including by way of land pooling, any land required by the Regional Development Authority for carrying out its functions.

29. Disposal, etc. of certain lands.- Any land vested in, transferred to or placed at the disposal of a Regional Development Authority or procured by it under the provisions of this Act shall be available for disposal by the Regional Development Authority under this Act in accordance with the rules made in this behalf.

CHAPTER VII

Infrastructure Projects

30. Manner of undertaking infrastructure projects.- A Regional Development Authority may identify or conceptualise any infrastructure project and after carrying out the necessary studies and evaluations, implement such infrastructure project directly through its own resources or undertake it through public private partnership:

Provided that an infrastructure project where the project cost envisaged is above rupees two hundred and fifty crores shall be undertaken subject to the approval of the State Government.

31. Concession agreement.- (1) The nature of a concession agreement shall be such as specified in the Schedule.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by inserting therein, or by omitting therefrom, any entry or any part thereof and on the publication of the notification such entry or part shall be deemed to be specified in, or as the case may be, omitted from, the Schedule.

(3) Any concession conferred under the concession agreement shall be for a period not exceeding thirty years after which all rights and interests of the concessionaire shall stand transferred to the Regional Development Authority:

Provided that if the Regional Development Authority is satisfied with the performance of the concessionaire, the concession agreement may be extended by the Regional Development Authority for a period not exceeding fifteen years on such terms and conditions as may be laid down in the regulations.

(4) Every notification issued under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the State Legislature.

32. Infrastructure project to vest in the Regional Development Authority.- All infrastructure projects undertaken in accordance with the provisions of this Chapter shall, subject to the covenants of the Concession Agreement, vest in the Regional Development Authority.

CHAPTER VIII

Economic Activity and Allotment of Land and Building

33. Regional Development Authority to be the Nodal Agency.- A Regional Development Authority shall be the single point of contact for starting any economic activity or provision of infrastructure facility in the Special Investment Region and shall also be the nodal agency under section 5 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 (Act No. 7 of 2011).

34. Proposal and approval of economic activity.- (1) Any person who intends to start an economic activity shall make a proposal in that regard to the Regional Development Authority in such form and in such manner, along with such fees, as may be provided in the regulations to be made by the Regional Development Authority.

(2) The Regional Development Authority, on receipt of a proposal made under sub-section (1), shall examine the proposal and may approve it with or without modification or reject the proposal.

35. Letter of approval.- On approval of the proposal, the Regional Development Authority shall issue a letter of approval to the person who has made a proposal under section 34.

36. Allotment of land or building.- A Regional Development Authority may, depending upon the availability of land and/or building and the requirements of the person who has

received a letter of approval, allot land and/or building and allow him to use the infrastructure facility and public and civic facility in accordance with this Act.

CHAPTER IX

Development in Special Investment Region

37. Use and development of land before the coming into force of Master Development Plan.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare the whole or any part of the Special Investment Region and the periphery, if any, to be controlled area for the purposes of this Act.

(2) No land within the controlled area, for which a Master Development Plan has not been notified, shall, except with the permission of the Regional Development Authority granted in the manner prescribed by the regulations, be used for purposes other than those for which it was used on the date of notification under sub-section (1).

38. Restriction on grant of permission for development after the coming into force of Master Development Plan.- (1) From the date of notification of the Master Development Plan, no government agency or any other person shall, within the area included in the Master Development Plan, institute or change the use of any land or building or undertake, or grant any permission for, any development unless the Regional Development Authority has given specific approval for the same in the manner prescribed by the regulations.

(2) No local authority shall undertake, or grant any permission for, any development, within the area included in the Master Development Plan, unless it has obtained the approval of the Regional Development Authority in the manner prescribed by the regulations.

39. Restrictions on use and development after declaration or making of Development Scheme.- (1) No development of any land shall be undertaken or carried out in the area included in a development scheme, except with the permission of the Regional Development Authority granted in the manner prescribed by the regulations.

(2) On or after the date on which a declaration of intention to make a Development Scheme is published in the Official Gazette

under section 20, no person shall within the area included in the Development Scheme, institute or change the use of any land or building or carry out any development, unless such person has applied for and obtained the permission of the Regional Development Authority in the manner prescribed by the regulations.

40. Power to modify permission to develop.- (1) If it appears to a Regional Development Authority that it is necessary or expedient having regard to the general development, operation, maintenance and management of the Special Investment Region or the periphery, that the permission or approval granted under this Act should be revoked or modified, it may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the person in whose favour the permission has been granted, by an order revoke or modify the permission to such extent as it appears to be necessary:

Provided that-

- (a) where the development relates to carrying out of any building operation or other operation, no such order shall affect such of the operations as have previously been carried out, or shall be passed after these operations have substantially progressed or have been completed;
- (b) where the development relates to a change of use of land, no such order shall be passed at any time after the change has taken place:

Provided further that where the revocation or modification of the permission is necessary in the public interest, the provision of the first proviso shall not apply.

(2) Where permission is revoked or modified by an order made under sub-section (1) and any owner claims within the time and manner prescribed, compensation for the expenditure incurred in carrying out the development in accordance with such permission which has been rendered abortive by the revocation or modification, the Regional Development Authority shall, after giving the owner a reasonable opportunity of being heard by the officer, appointed by it in this behalf and after considering his report assess and pay reasonable compensation to the owner.

41. Power of cancellation of permission.- If at any time after grant of permission or approval by a Regional Development Authority, the Regional Development Authority is satisfied that such permission or approval was granted in consequence of any material misrepresentation or there has been a breach of the terms and conditions of the allotment or any contravention of this Act, rules or regulations made thereunder, it may, after giving an opportunity of being heard to the person in whose favour the permission or approval had been granted, cancel such permission or approval for reasons to be recorded in writing and any development carried out shall be treated as unauthorized development and proceeded with accordingly.

42. Appeal against the decision of the Regional Development Authority.- (1) Any person aggrieved by a decision of a Regional Development Authority under section 40 or 41 may, within thirty days from the date of decision, prefer an appeal to the appellate authority.

(2) The appellate authority, after affording a reasonable opportunity of hearing to the parties may accept or reject the appeal filed under sub-section (1) or modify the decision taken by a Regional Development Authority.

43. Restriction on erection or occupation of building in contravention of regulations.- No person shall erect or occupy any building in the Special Investment Region or the periphery in contravention of any building regulations made by the Regional Development Authority.

CHAPTER X

Offences and Prosecution

44. Penalty for sale, lease or booking in an unauthorized scheme or project.- (1) No Developer of any scheme or project in the Special Investment Region shall invite the public directly or indirectly for sale, lease, or booking of any part of its scheme or project unless the developer has, before the launch of the scheme or project, obtained permission in this behalf from the Regional Development Authority in the manner prescribed by the regulations.

(2) Whoever invites or induces any person for sale, lease or booking of any part in a scheme or project not having permission under sub-section (1) from the Regional Development

Authority shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to five years or with fine which may extend to one lac rupees or with both.

45. Encroachment or obstruction upon land and building.- (1) Whoever makes any encroachment on any land or building vested in a Regional Development Authority or on any land or building not being a private property, whether such land or building belongs to or vests in the Regional Development Authority or not, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lac rupees or with both.

(2) Whoever makes any obstruction upon any land or building vesting with a Regional Development Authority or upon any land or building not being a private property, whether such land or building belongs to or vests in the Regional Development Authority or not, not being duly authorized in that behalf, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to two months or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lac rupees or with both.

(3) A Regional Development Authority or any officer authorized by it in this behalf shall have the power to remove any such obstruction or encroachment and the expenses of such removal shall be recovered from the person who has caused the said obstruction or encroachment.

(4) Whoever not being duly authorized in that behalf removes earth, sand or other material from any land not being a private land, shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to one lac rupees or with both.

46. Power to stop unauthorized development or construction in a Special Investment Region.- (1) Where any unauthorized development or construction on any land in a Special Investment Region is being carried out but has not been completed, the Regional Development Authority may serve on the owner and the person carrying out the development or construction, a notice

requiring the development of land or construction to be discontinued from the time of service of the notice.

(2) Any person, who continues to carry out the unauthorized development or construction on such land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees and where the unauthorized development or construction continues after the first offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first offence.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person continues to carry out unauthorized development or construction after receiving notice under sub-section (1), the Regional Development Authority or any officer authorized by it in this behalf shall, in addition to any prosecution or other proceedings or action that may be initiated under this Act, have the power to require any police officer to remove the person by whom the unauthorized development or construction has been continued along with all his assistants and workmen from the place of unauthorized development or construction within such time as may be specified in the requisition and such police officer shall comply with the requisition accordingly. In addition to such removal of persons, the Regional Development Authority or the authorized officer of the Regional Development Authority may confiscate such construction material including the equipments, tools, vehicles, etc. which such person was using for the unauthorized development or construction.

(4) No compensation shall be claimed by any person for any damage which he may sustain in consequence of the discontinuation of the unauthorized development or construction under this Act.

47. Penalty for unauthorized development or use.- Any person who, whether at his own instance or at the instance of any other person, commences, undertakes or carries out development of any land or building,-

- (a) without obtaining the permission required under this Act or the rules and regulations made thereunder; or

- (b) which is not in accordance with any permission granted or is in contravention of any condition subject to which such permission has been granted; or
- (c) after the permission for development has been duly revoked; or
- (d) which is in contravention of the building regulations,

shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and in case of a continuing offence with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first offence.

48. Power to seal and/or remove unauthorized development.- Without prejudice to section 45, where any unauthorized development of land or building has been carried out as provided under section 46 or 47, the Regional Development Authority shall have the power to seal buildings and/or remove such unauthorized development in the manner as may be prescribed by the rules.

49. Power of entry.- (1) The Regional Development Authority may authorize any person to enter into or upon any land or building with or without assistants or workmen for the purpose of,-

- (a) preparation of any plans or schemes required under this Act, carrying out any surveys, making any measurement or taking levels of such land or building;
- (b) digging or boring into the sub-soil;
- (c) setting out boundaries and intended lines of works;
- (d) making such levels, boundaries and lines by placing mark, and cutting trenches;

- (e) examining works under construction and ascertaining the course of sewers and drains;
- (f) making any enquiry, inspection or search for ascertaining contravention of this Act or the rules and regulations made thereunder; or
- (g) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act:

Provided that-

- (i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice at least of twenty four hours to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building; and
- (ii) intimation shall be given in every instance to enable the inmates of any apartment appropriated to females to shift to such part where their privacy may not be disturbed.

(2) It shall be lawful for any person authorized under sub-section (1) to make an entry for the purpose of inspection or search and to open or cause to be opened a door, gate or other barrier,-

- (a) if he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry, inspection or search; and
- (b) if the occupier is absent or, being present, refuses to open such door, gate or barrier.

(3) If any damages are or are likely to be caused to any owner or occupier of any land or building in carrying out any of the functions under sub-section (1), the person so authorized shall at the time of such entry pay or tender payment of such damages to the owner or occupier and in case of dispute as to sufficiency of the amount so paid or tendered, he shall at once refer the dispute to the appellate authority and the decision of the appellate authority thereon shall be final.

50. Penalty for obstructing entry.- Whoever,-

- (a) obstructs the entry of any person empowered under the provisions of this Act upon any land or building;

- (b) resists or obstructs any member, employee or servant of a Regional Development Authority or any employee of the State Government in exercise of any power conferred on, or in the discharge of any duty imposed upon, or in the performance of any function entrusted to him; or
- (c) restricts or obstructs any person with whom a Regional Development Authority or the State Government or an officer of the State Government, has entered into a contract, including any concessionaire,

shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

51. General provision for punishment of offences.- Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder, for which no specific penalty is provided for, shall, for the contravention, be punished,-

- (a) for the first offence, with fine which may extend to five thousand rupees; and
- (b) for a second or any subsequent offence, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lac rupees.

52. Offence by companies.- (1) Where an offence has been committed by a company under this Act, every person, who at time the offence was committed was incharge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or, is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section-

- (a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

53. Expenses incurred by the Regional Development Authority.- Any expenses incurred by a Regional Development Authority under this Chapter shall be a sum due to the Regional Development Authority under this Act from the person in default and shall be recovered in accordance with the provisions of section 59.

54. Cognizance of offences.- No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, except the offence under section 45, or any rule or regulation made thereunder, or except upon a complaint in writing of the facts constituting such offence made by a Regional Development Authority, or by a person expressly authorised in this behalf by the Regional Development Authority:

Provided that any person whose right to enjoyment of land or building is adversely affected by any unauthorized development may also file a complaint in the like manner against such person or persons who may have undertaken the said unauthorized development:

Provided further that the Regional Development Authority shall also be given due notice of such proceedings and if the Regional Development Authority removes the cause for action within a reasonable period, the proceedings in the court shall abate without prejudice to any other action or proceedings that the Regional Development Authority has initiated or may initiate thereafter.

55. Power of a Regional Development Authority as to legal matters.- A Regional Development Authority may,-

- (a) institute, defend or withdraw from any legal proceeding; and
- (b) admit, compromise or withdraw any claim made in any legal proceeding or otherwise:

Provided that no withdrawal from prosecution for an offence under this Act shall be made except with the permission of the court.

CHAPTER XI

User Charges, Fees and Recovery of Dues

56. Imposition of user charges.- A Regional Development Authority may impose user charges for such services and at such rates and in such manner as may be prescribed by the rules.

57. Fee for approval or permission.- A Regional Development Authority may charge such fee as may be laid down in the regulations for processing of any applications, grant of any approval, permission or concession under this Act.

58. Premium and lease rent of land.- A Regional Development Authority shall charge lease rent of land with respect to any land allotted by it and premium on its second or subsequent sale at such rate and in such manner as may be prescribed by the rules.

59. Recovery of moneys due to Regional Development Authority.- Any amount due to a Regional Development Authority may, without prejudice to the right of recovery provided by or under any other law for the time being in force, be recoverable as arrears of land revenue.

CHAPTER XII

Funds, Accounts and Audit

60. Funds and finances of the Regional Development Authority.- (1) Subject to the provisions of this Act, a Regional Development Authority may create such funds for such purposes

as it may determine from time to time, to which, shall be credited all moneys received by it, including,-

- (a) contribution to be made by the State Government in the first instance of a sum equivalent to rupees five crore towards a revolving fund to be established by every Regional Development Authority under this Act;
- (b) all moneys received from the Central Government, State Government, or any other person by way of grants, donations, loans, advances or otherwise;
- (c) all fees and user charges received by the Regional Development Authority under this Act; and
- (d) all moneys received by the Regional Development Authority towards lease, premium or cost of land and/or building.

(2) The fund shall be applied towards meeting the expenses incurred by the Regional Development Authority in performing its functions and for administration of the provisions of this Act.

61. Accounts and Audit.- (1) The accounts of the Regional Development Authority shall be prepared and maintained in such form and in such manner as may be prescribed by the rules.

(2) The Accounts of every Regional Development Authority shall be subject to audit by the Director Local Fund Audit in accordance with the provisions of the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) or in the manner as may be prescribed by the rules.

(3) The Regional Development Authorities shall pay from their funds the charges for their respective audit as may be prescribed by the rules.

62. Power of the Regional Development Authority to borrow and raise loans.- (1) Subject to approval of the State Government, a Regional Development Authority may borrow and raise loans from any source including by issue of bonds, debentures and other instruments for carrying out the purpose of this Act or for servicing any loan obtained by it, upto such limits

and on such rates and other conditions as the State Government may specify.

(2) The Regional Development Authority shall maintain a sinking fund for the repayment of money borrowed and shall pay every year into the sinking fund such sum as may be sufficient for repayment within the period fixed for all moneys so borrowed.

(3) The sinking fund or any part thereof shall be applied in, or towards, the repayment of the loan for which such fund was created and until such loan is wholly repaid, it shall not be applied for any other purpose.

63. Power of the Regional Development Authority to finance project and impose conditions therefor.- A Regional Development Authority may give loans to or share expenses with any person for any project, including an infrastructure project, subject to such limitations and conditions as the State Government may, from time to time, specify.

64. Budget.- (1) A Regional Development Authority shall cause to be prepared, every year, in such form and at such time as may be laid down in the regulations, an annual budget estimate in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipt and expenditure of the Regional Development Authority and shall submit it to the Board for its approval.

(2) A Regional Development Authority shall forward to the State Government copies of the budget approved by the Board.

65. Annual Report.- A Regional Development Authority shall, at the end of each financial year, prepare an annual report giving a true and full account of its activities during the previous financial year and submit it to the Board and the State Government.

66. Furnishing of accounts and reports to the State Legislature.- The State Government shall cause to be laid before the House of the State Legislature as soon as may be after their receipt,-

- (a) the statement of accounts of every Regional Development Authority; and
- (b) the annual report of every Regional Development Authority.

CHAPTER XIII*Dispute Resolution and Appeal*

67. Appellate authority.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, establish and constitute one or more appellate authority or authorities for the purposes of this Act. The appellate authority shall have jurisdiction for the area as may be specified in the notification by the State Government.

(2) The appellate authority shall consist of a Chairperson and two other members, having qualification and experience in the field of law or administration, as may be prescribed by the rules, and such persons may be serving or retired officers of the State Government and shall be paid such salary and allowances as may be determined by the State Government.

(3) The office of the appellate authority shall be at such place as may be specified in the notification.

(4) The State Government may, to assist the appellate authority, appoint such number of officers and staff and of such cadre as it may deem necessary.

(5) The expenses of the appellate authority shall be borne by the State Government.

(6) The procedure to be followed by the appellate authority in deciding the appeals or disputes referred to it under this Act, including the quorum at its meeting, shall be such as may be prescribed by the rules.

(7) No act or proceeding of the appellate authority shall be invalid merely by reason of any vacancy therein or any defect in the constitution thereof, or any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(8) Except as otherwise provided, any person aggrieved by an order of the Regional Development Authority may file an appeal before the appellate authority within thirty days of the communication of such order to him and the decision of the appellate authority shall be final.

(9) Except as otherwise provided, any dispute arising out of any provision of this Act may be referred to the appellate authority by a Regional Development Authority. The decision of the

appellate authority thereon shall be final and binding on all the parties thereto.

68. Reference of certain disputes to arbitration.- Any dispute or differences between a Regional Development Authority and a concessionaire shall be settled by arbitration in the manner as may be provided for in the concession agreement.

69. Disputes with local authority.- Notwithstanding anything contained in any Rajasthan Law, any dispute relating to territorial or functional jurisdiction between a Regional Development Authority and any local authority, if not amicably settled, shall be referred to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER XIV

Miscellaneous

70. Power of State Government to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the activities and services to be prescribed under clause (l) of section 2;
- (b) the facilities for public and civic purposes to be prescribed under clause (z) of section 2;
- (c) the remuneration, allowance and other conditions of service of the non-official members of the Board under sub-section (10) of section 7;
- (d) the remuneration, allowance and other conditions of service of the non-official members of a Regional Development Authority under sub-section (4) of section 9;
- (e) the contents of Master Development Plan to be prescribed under clause (i) of sub-section (1) of section 13;

- (f) the manner of publication of the notice for the preparation of draft Master Development Plan under section 14;
- (g) the manner of publication of Development Scheme by means of notice under sub-sections (2) and (3) of section 21;
- (h) the contents of the Zonal Development Plan to be prepared under section 26;
- (i) the conditions and restrictions subject to which and the manner in which the land may be disposed of under sub-section (1) of section 27;
- (j) the manner for sealing buildings and removal of unauthorized development by the Regional Development Authority under section 48;
- (k) the services on which, rates at which, and the manner in which, user charges may be imposed under section 56;
- (l) the rate and manner of charging lease rent and premium under section 58;
- (m) the form and manner in which accounts of the Regional Development Authority shall be prepared and maintained, the other manner in which accounts of the Regional Development Authority may be audited and the charges of audit to be paid by the Regional Development Authority under sub-sections (1), (2) and (3) of section 61;
- (n) the qualifications of the appellate authority and the procedure including quorum at its meeting to be followed by the appellate authority under sub-sections (2) and (6) of section 67; and
- (o) any other matter which, is to be, or may be, prescribed by the rules.

(3) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

71. Power of the Board and Regional Development Authority to make regulations.- (1) The Board may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder, for matters referred to under sub-section (6) of section 7.

(2) The Regional Development Authority may make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder, to carry out the purposes of this Act.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the regulations made by the Regional Development Authority may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the procedures to transact business the meeting of the Regional Development Authority and quorum thereat under sub-section (5) of section 9;
- (b) the conditions of appointment and service and the powers, functions and duties of officers and servants of the Regional Development Authority under clause (ze) of section 10;
- (c) the other manner of publication of modified draft Master Development Plan under sub-section (2) of section 15;
- (d) the other manner of publication of notice under sub-section (2) of section 17;

- (e) the matters to be included in a Development Scheme under clause (k) of sub-section (2) of section 19;
 - (f) the manner of publication of the declaration of intention to make Development Scheme under sub-section (2) of section 20;
 - (g) the procedure for varying the Development Scheme on ground of error, irregularity or infirmity under section 22;
 - (h) the terms and conditions for extension of concession agreement under sub-section (3) of section 31;
 - (i) the manner of giving any permission or approval under sections 37, 38, 39 and 44;
 - (j) the form and time for preparation of annual budget of the Regional Development Authority under section 64.
- (4) Such regulations may also provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the form and manner of the proposal and the fee payable for starting an economic activity under sub-section (1) of section 34;
 - (b) the building regulations to regulate buildings under section 43;
 - (c) the fee that may be charged under section 57.

72. Power of State Government to remove difficulties.-

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion requires, but not later than two years from the date of commencement of this Act, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the objects and purposes of this Act, as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

73. Dissolution of the Regional Development Authority.-

(1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which any Regional Development Authority was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of such Regional Development Authority in the opinion of the State Government unnecessary, the State Government may by notification in the Official Gazette declare that such Regional Development Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification, and such Regional Development Authority shall be deemed to have been dissolved accordingly.

(2) From the said date,-

- (a) all properties, funds and dues which are vested in, or realizable by such Regional Development Authority shall vest in or be realizable by the State Government;
- (b) all lands placed at the disposal of such Regional Development Authority shall revert to the State Government;
- (c) all liabilities which are enforceable against such Regional Development Authority shall be enforceable against the State Government; and
- (d) for the purpose of carrying out any work which has not been fully carried out and for the purposes of realizing properties, funds and dues referred to in sub-clause (a) and for such other purposes as may be required, the functions of such Regional Development Authority shall be discharged by the State Government.

74. Delegation of powers.- (1) The State Government may, by a notification in the Official Gazette, delegate to any officer subordinate to it or delegate to the Board or to a Regional

Development Authority all or any powers conferred on it by or under this Act, other than the power to make rules.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate such functions and powers of the Regional Development Authority as are provided under this Act, for such area within a Special Investment Region, as may be specified in the notification, to a Government Company and such Government Company shall exercise such powers and discharge such functions subject to the Master Development Plan, if any, of the Special Investment Region:

Provided that no powers or functions under this Act for making of regulations shall be delegated to such Government Company.

(3) The Board may, by an order, assign and delegate any of its functions and powers to its Chairperson or any other member or to the Regional Development Authority subject to such conditions or limitations as it may deem fit except the function and power of making regulations.

(4) A Regional Development Authority may assign and delegate any of its functions and powers to any committee, or to any officer or staff of the Regional Development Authority, subject to such conditions or limitations as it may deem fit.

75. State Support.- (1) A Regional Development Authority may, for any economic activity in the Special Investment Region or for any infrastructure project as per the existing policy of the State Government, propose a customized package after getting it examined by the concerned departments of the State Government for approval of the Board.

(2) The Board, on being satisfied with the proposal, may, with or without any modification, recommend the package and send it to the State Government for approval.

(3) Such customized package may provide for incentive in the form of exemptions from State taxes, duties, cess, etc. levied by the State Government under any Rajasthan Law.

(4) In order to make any infrastructure project sustainable or commercially viable, a Regional Development Authority may propose to the Board for consideration and approval and the Board may, on being satisfied with the proposal, recommend to the State

Government to sanction and provide State support which may include,-

- (a) equity participation subject to a maximum of forty nine per cent of the total equity;
- (b) financial assistance which may include capital grant, minimum revenue guarantee, payment guarantee and off take and purchase guarantees to the concessionaire as a substitute for or in addition to whole or part of the charges collected for such infrastructure project;
- (c) incentives in form of exemptions from State taxes, duties, cess, etc. levied by the State Government under any Rajasthan Law;
- (d) guarantees with respect to any obligation of the State Government under a concession agreement; or
- (e) any other State support which may be notified from time to time by the State Government in the Official Gazette:

Provided that the ceiling of forty nine per cent equity participation under clause (a) shall not be applicable in the case of companies promoted by a Regional Development Authority pursuant to any joint venture or collaboration agreement with any government agency or any company, body or any other institution by whatever name called, owned or controlled by the Central Government.

76. Units and infrastructure facility of Special Economic Zone in Special Investment Region to be governed under the relevant Acts:- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules or regulations made thereunder, units and amenities set up in any Special Economic Zone falling under a Special Investment Region shall continue to be governed by and shall avail the benefits under the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005) and the Rajasthan Special Economic Zones Act, 2015 (Act No. 1 of 2016).

(2) The developer of a Special Economic Zone shall take into account the plans and schemes prepared by the Regional Development Authority in accordance with Chapter V while finalizing any activity within the Special Economic Zone.

77. Act to override other Rajasthan Law.- Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Rajasthan Law for the time being in force.

78. Immunity to the Board or Regional Development Authority.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintainable against the Board, or any Regional Development Authority, or a Government Company delegated with the powers of a Regional Development Authority under sub-section (2) of section 74 or any person acting under the direction thereof or the members, officers or staff thereof in respect of anything done lawfully and in good faith and with due care and attention under this Act.

79. Officers and other employees to be public servants.- Every member, officer and staff of a Regional Development Authority or a Government Company delegated with the powers of a Regional Development Authority under sub-section (2) of section 74, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

80. Service of notice under this Act.- All documents, which expression shall include notice and orders required by this Act or the rules and regulations made thereunder to be served upon any person, shall, save as otherwise provided in this Act or the rules and regulations made thereunder, be deemed to be duly served where it is sent by registered post or speed post or delivered at the place of his residence or business or given or tendered to the person to whom it is addressed or if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business, or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates, or where an attempt to serve a document on any person in the manner indicated in the foregoing provisions of this section fails, it shall be deemed to be an effective service of the document on such person if the notice of the document to be served is published in any daily local newspaper.

81. Bar of jurisdiction of civil court.- (1) No civil court shall take cognizance of any matter which is required to be or may be decided by the State Government, Board, Regional Development Authority, or the appellate authority under the provisions of this Act.

(2) An order passed or a direction given by the State Government to the Board, Regional Development Authority, or the appellate authority under the provisions of this Act or an order passed or notice issued by the Board, Regional Development Authority, or the appellate authority under the provisions of this Act shall be final.

82. Control by State Government.- (1) The Board and every Regional Development Authority shall exercise their powers and perform their duties under this Act in accordance with the policy framed and the guidelines laid down, from time to time, by the State Government for establishment, planning, development, operation, maintenance, management and regulation of the Special Investment Regions.

(2) The Board and every Regional Development Authority shall be bound to comply with such direction which may be issued from time to time by the State Government for efficient administration of this Act.

83. Dissolution of the Urban Improvement Trust entire area of which has been declared to be a Special Investment Region and savings.- (1) Where entire area of an Urban Improvement Trust has been declared to be a Special Investment Region under section 3, notwithstanding anything contained in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter in this section referred to as the 'said Act', and the rules, regulations and bye-laws made thereunder, as from the date of the constitution of the Regional Development Authority for such Special Investment Region under this Act, hereinafter referred to as 'such constitution',-

- (a) such Urban Improvement Trust (hereinafter in this section referred to as 'the Trust') functioning in the area covered by the area of such Special Investment Region immediately before such constitution, shall stand dissolved;

- (b) all land, buildings and other immovable properties (together with all interests of whatever nature and kind therein) situated in the area of such Special Investment Region and vested in the Trust for the purpose of carrying out or undertaking development or improvement in such area, immediately before such constitution, shall pass on to and vest in the Regional Development Authority so constituted;
- (c) all stores, articles or other movable properties belonging to the Trust held by it for the purpose of carrying out or undertaking development or improvement in such area, immediately before such constitution, shall pass on to and vest in the Regional Development Authority so constituted;
- (d) all assessments, valuations, measurements or divisions made by the Trust immediately before such constitution in or in connection with such area, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue and be deemed to have been made under the provisions of this Act, unless and until they are superseded by any assessment, valuation, measurement or division made by the Regional Development Authority so constituted;
- (e) all plans, schemes for the development or improvement of any area declared as the area of such Special Investment Region and prepared under the said Act, shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been prepared under this Act and any such plan or scheme which was in force immediately before the commencement of this Act, shall continue to be in force so long it is not otherwise dealt with under this Act;

- (f) all records and papers belonging to the Trust and relating to the development or improvement of such area, including the plans and schemes and papers relating thereto, as are referred to in clause (c) shall vest in and stand transferred to the Regional Development Authority so constituted;
- (g) every officer or servant serving under the Trust immediately before such constitution, shall, on or from such constitution, be deemed to have been transferred temporarily for a period of one year to the Regional Development Authority so constituted, within which period until otherwise extended by it, such Regional Development Authority shall, after their screening in such manner as may be determined by regulations, absorb them in the service of such Regional Development Authority on such posts and with such designations, as the Regional Development Authority may determine. The officers and servants so absorbed in the service of the Regional Development Authority shall hold office by the same tenure, at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as they would have held if the Regional Development Authority had not been constituted, and shall continue to so hold unless and until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by such Regional Development Authority:

Provided that any service rendered by any officer or servant so absorbed before such constitution shall be deemed to be service rendered under the Regional Development Authority;

- (h) anything done or any action taken including any appointment, delegation, order, scheme, rule, bye-laws, regulation or form made or notification issued or permission granted under the said Act so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act shall

continue to be in force and be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act unless and until it is superseded by anything done or any action taken under the said provisions;

- (i) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into, all allotments and transfers of land made and all matters and things engaged to be done in or as respects the area covered by the area of such Special Investment Region, by, with or for the Trust for such area shall, immediately before such constitution be deemed to have been incurred, entered into, made or engaged to be done by, with or for the Regional Development Authority;
- (j) notwithstanding anything contained in this Act, the validity of any declaration of application, publication, notification, appointment, order, allotment of land, proposal, award, proceeding, consultation, inquiry, certification, compromise, sanction, agreement, notice, approval, decision, dispute, withdrawal of any legal proceeding, final scheme or act made, held, issued, entered into, given, taken, decided, drawn up, or done, before such constitution, by or on behalf of the Trust, shall be deemed as if they were made, held, issued, entered into, given, taken, decided, drawn up or done under this Act by or on behalf of the Regional Development Authority;
- (k) all compromises, defenses or withdrawals, made in or from any legal proceedings, any offence compounded or any claim admitted, by or on behalf of the Trust before such constitution shall be deemed to have been made by or on behalf of the Regional Development Authority and may be enforced by or against the Regional Development Authority as effectively as they could be enforced by or against the Trust before such constitution;
- (l) all suits, prosecutions and other legal proceedings instituted by, for, or against the Trust may be continued or instituted by, for, or against the Regional Development Authority;
- (m) all properties movable and immovable and all rights, title and interest in any property vested in the Trust

shall vest in the Regional Development Authority and all such properties in possession of the Trust shall be deemed to be in possession of the Regional Development Authority;

(n) all rents, fees and other sums of money due to the Trust shall be deemed to be due to the Regional Development Authority; and

(o) all sums or charges which the Trust was, immediately before such constitution, entitled to levy, assess and recover for or in respect of development or improvement of any land in the area of such Special Investment Region, may continue to be levied, assessed and recovered by the Regional Development Authority under the corresponding provisions of this Act.

(2) Where any acquisition proceedings have been started under any law for the time being in force for any of the purposes of the Trust, the same shall be continued and completed under and in accordance with the provisions of such laws as aforesaid.

84. Repeal.- The Rajasthan Industrial Area Development Authority Act, 1995 (Act No. 7 of 1996) is hereby repealed.

SCHEDULE

[See sections 2 (g) and 31]

Nature of Concession Agreement

1. **Build Own Operate and Transfer Agreement:** An agreement whereby the developer undertakes to finance, construct, maintain and operate a project and whereby such project is to vest in the developer for a specified period. During the period of operation of the project by the developer, he may be permitted to charge user charges as specified in the agreement. The developer is required to transfer the project to the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, a Government agency after the expiry of the period of operation.
2. **Build Own Operate and Maintain Agreement:** An agreement whereby a developer undertakes to finance, construct, operate and maintain a project and whereby such

project is to vest in the developer for specified period. During the period of operation of the project, he may be permitted to charge user charges as specified in the agreement.

3. **Build Transfer Agreement:** An agreement whereby a developer undertakes to finance and construct a project. After the completion of the project, the developer is required to transfer the project to the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, a Government agency. The developer shall be paid such amount as is fixed in amortization schedule specified in the agreement.
4. **Build Lease and Transfer Agreement:** An agreement whereby a developer undertakes to finance and construct the project. On completion of the project, the developer hands it over to the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, a Government agency for operation under a lease agreement for period specified in the agreement after the expiry of which the project stands transferred to the Regional Development Authority, the State Government, or as the case may be, a Government agency.
5. **Build Transfer and Operate Agreement:** An agreement whereby the developer undertakes to finance and construct the project. On completion of the project, the Developer transfers the project to the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, a Government agency which permits the developer to operate the project on its behalf for a period specified in the agreement.
6. **Lease Management Agreement:** An agreement whereby the Regional Development Authority, the State Government or a Government agency leases a project owned by the Regional Development Authority, the State Government or,

as the case may be, a Government agency to the person who is permitted to operate and maintain the project for the period specified in the agreement and to charge user charges therefor.

7. **Management Agreement:** An agreement whereby the Regional Development Authority, the State Government or a Government agency entrusts the operation and management of a project to a person for the period specified in the agreement on payment of specified consideration. In such agreement the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, the Government agency may charge user charges and collect the same either itself or entrust the collection for consideration to any person who shall after collecting the user charges pay the same to the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, the Government agency.
8. **Rehabilitate Operate and Transfer Agreement:** An agreement whereby an existing project is vested in a person to renovate, operate and maintain for the period specified in the agreement after the expiry of which the project is required to be transferred to the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, a Government agency. During the period of operation of the project by the developer, he may be permitted to charge user charges as specified in the agreement.
9. **Rehabilitate Own and Maintain Agreement:** An agreement whereby an existing project is vested in a person to renovate, operate and maintain. The developer shall be permitted to charge user charges as specified in the agreement.
10. **Service Contract Agreement:** An agreement whereby a person undertakes to provide service to the Regional Development Authority, the State Government or a

Government agency for a specified period. The Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, a Government agency shall pay him an amount according to the agreed schedule.

11. **Supply Operate and Transfer Agreement:** An agreement whereby a person supplies to the Regional Development Authority, the State Government or a Government agency the equipments and machinery for a project and undertakes to operate for a period and consideration specified in the agreement. During the operation of the project, he shall undertake to train employees of the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, the Government agency to operate the project.

12. **Joint Venture Agreement:** An agreement whereby the Regional Development Authority, the State Government or a Government agency enters into an agreement with a developer to jointly finance, construct, operate and maintain a project for a period specified in the agreement after the expiry of which the project is required to be transferred to the Regional Development Authority, the State Government or, as the case may be, a Government agency.

सनीज कुमार व्यास,

Principal Secretary to the Government.